

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका 1; पृष्ठ 1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़े			
क्रम सं.	विवरण	आँकड़े	
1	क्षेत्रफल	94,163 वर्ग कि.मी.	
2	2011 के जनगणना के अनुसार	10.38 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.90 प्रतिशत)	33.70 प्रतिशत	
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	61.80 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 34 प्रति 1000 जन्म पर)	38	
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (राष्ट्रीय औसत = 68.30 वर्ष)	68.40 वर्ष	
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2017–18 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)	4,87,628	
9	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. ¹ सी.ए.जी.आर. ² (2008–09 से 2017–18)	बिहार	13.20
		सामान्य कोटि के राज्य	13.10
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2008–09 से 2017–18)	बिहार	14.70
		सामान्य कोटि के राज्य	14.50
11	जनसंख्या वृद्धि (2008 से 2017)	बिहार	11.90
		सामान्य कोटि के राज्य	11.60

ब. वित्तीय आँकड़े

क्रम सं.	विवरण	(आँकड़े प्रतिशत में)			
		2008–09 से 2016–17		2016–17 से 2017–18	
	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	
क	राजस्व प्राप्तियों का	15.10	15.66	11.30	11.23
ख	कर राजस्व का	14.90	18.34	12.20	(-) 2.55
ग	गैर कर राजस्व का	9.50	9.61	5.90	45.94
घ	कुल व्यय का	15.80	16.70	4.70	7.93
ङ	पूँजीगत व्यय का	14.00	19.75	1.00	6.24
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	14.50	14.01	6.20	21.67
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	19.18	10.70	20.89
ज	वेतन एवं मजदूरी का	13.40	9.85	8.90	12.64
झ	पेंशन का	16.20	17.35	22.90	14.27

स्रोत: (सार्विकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2018)।

¹ जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

² सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका 1.1; पृष्ठ 1)

भाग-क: सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा

सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि: सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विषयों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की संचित निधि” कहा जाता है।

भाग II आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्यय हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहूर्या करता है। तत्पश्चात्, विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है।

भाग III लोक लेखा: कुछ विशेष लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं हैं, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखे दो भागों में विभाजित है। भाग I सरकार के वित्तीय विवरण को सामान्य समक्ष में आने वाली सारांशीकृत रूप में प्रस्तुत करता है वहीं भाग II में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।	
भाग I में भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रमाण—पत्र, 13 सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।	
विवरण संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण : यह विवरणी वर्ष के अंत में राज्य सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलना दर्शाता है।
विवरण संख्या 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, यथा—समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में कुल प्राप्तियों तथा संवितरणों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सरकार के रोकड़ शेष (निवेश सहित) के वैकल्पिक वर्णन को दर्शाते हुए एक अनुसूची शामिल होती है। परिशिष्ट सरकार के अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति का भी विस्तृत रूप में उल्लेख करता है।
विवरण संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि): इस विवरणी में राज्य सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ (विनिवेश, उधार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा अग्रिमों की वसूलियाँ सहित) सम्मिलित होता है। यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ 14, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 4	व्यय की विवरण (समेकित निधि) : वित्त लेखे में लघु शीर्ष स्तर के सामान्य वर्णन से इतर, यह विवरणी व्यय की व्यवहारिक प्रवृत्ति (व्यय के उद्देश्यों) का भी सविस्तार वर्णन प्रदान करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 15, 16, 17 तथा 18 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण : यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 16 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 6	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार के उधार में उसके द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम सम्मिलित होते हैं। ‘अन्य दायित्वों’ में ‘लघु बचत, भविष्य निधि आदि, ‘आरक्षित निधि तथा ‘जमा’ सम्मिलित होते हैं। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी एक टिप्पणी होती है और यह खण्ड II में विस्तृत विवरण 17 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 7	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे—सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ताओं (सरकारी सेवक सहित) को दिए गए कुल कर्ज तथा पेशगियों को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 18 के अनुरूप होती है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार का सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किए गए निवेश को दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 19 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 9	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विवरण : यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गए कर्जों पर मूलधन तथा ब्याज के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का सारांश प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरण 20 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 10	सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण : यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अनुदानग्राहियों जैसे— सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्ति विशेष को दिए गए कुल सहायता अनुदानों को दर्शाता है। परिशिष्ट III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है।
विवरण संख्या 11	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण: यह विवरणी वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में प्रदर्शित सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायता करता है।
विवरण संख्या 12	राजस्व लेखे से भिन्न व्यय के लिए निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोग का विवरण: यह विवरणी इस सिद्धांत पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से होनी चाहिए जबकि पूँजीगत व्यय को राजस्व आधिशेष, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिए।
विवरण संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अंतर्गत शेषों का सार : यह विवरणी लेखे की शुद्धता को प्रमाणित करने में सहायता करता है। यह विवरणी खण्ड II में विस्तृत विवरणी 14, 15, 16, 17, 18 तथा 21 के अनुरूप होती है।
वित्त लेखे के खण्ड II में दो भाग होते हैं—भाग—I में नौ विस्तृत विवरणीयाँ तथा भाग II में 13 परिशिष्टें।	
विवरण संख्या 14	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी वित्त लेखे के खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 3 के अनुरूप होता है।
विवरण संख्या 15	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरणी 4 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार की योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए राजस्व व्यय को दर्शाता है। प्रभारित एवं दत्तमत व्यय अलग-अलग दर्शाए जाते हैं।
विवरण संख्या 16	लघु शीर्षवार एवं उप शीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 5 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार के योजना (राज्य योजना, राज्य योजना को केंद्रीय सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा केंद्रीय योजना) एवं गैर योजना के अधीन हुए पूँजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) को दर्शाता है। पूँजीगत व्यय को लघु शीर्ष के स्तर तक विस्तृत वर्णन करने के अतिरिक्त, यह विवरणी महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में उपशीर्ष के स्तर को भी दर्शाती है।
विवरण संख्या 17	उधार तथा अन्य देयताओं का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, जो खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 6 के अनुरूप होता है, राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण (बाजार ऋण, बन्ध पत्र, केंद्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थानों से कर्ज, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिम के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित करता है। यह विवरणी ऋण संबंधी सूचना को तीन श्रेणियों : (क) प्रत्येक ऋण का विस्तृत विवरण; (ख) परिपक्वता पार्श्वचित्र अर्थात प्रत्येक वर्ष में विभिन्न श्रेणी के ऋण के सापेक्ष भुगतेय राशि; तथा (ग) बकाए ऋण का व्याज दर पार्श्वचित्र एवं अनुलग्नक बाजार ऋण को प्रदर्शित करती है।
विवरण संख्या 18	सरकार द्वारा दिए गए कर्ज तथा पेशागियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 7 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी, विवरणी संख्या 16 तथा 19 के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, का विवरण इकाई वार तथा मुख्य एवं लघु शीर्ष वार प्रस्तुत करता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 8 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 20	सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों का इकाई वार विवरण प्रस्तुत करती है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 9 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 21	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखा के संव्यवहारों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर तक वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में अप्रतिपूरित राशियों, लोक लेखे के संव्यवहारों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाए रोकड़ शेष को विस्तृत रूप में दर्शाता है। यह विवरणी खण्ड I में संक्षिप्त विवरण 13 के अनुरूप होती है।
विवरण संख्या 22	उद्दिष्ट निधियों के निवेशों का विस्तृत विवरण : यह विवरणी आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किए गए निवेशों को विस्तृत रूप में दर्शाती है।

(स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1 पृष्ठ 1)
वर्ष 2017-18 की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण				
2016-17		2017-18	2016-17		2017-18	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
खण्ड: अ राजस्व								
1,05,584.99	I	राजस्व प्राप्तियाँ		1,17,446.74	94,765.18	I	राजस्व व्यय	66,672.60
23,742.26		कर राजस्व	23,136.49		30,607.00		सामान्य सेवाएँ	33,087.27
2,403.12		करेतर राजस्व	3,506.74		40,736.63		सामाजिक सेवाएँ	19,254.14
58,880.59		संघीय करों का राज्यांश	65,083.38		19,151.91		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	11,120.92
4,505.51		गैर योजना अनुदान	(-) 5.00		4,622.46		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,103.97
13,952.92		राज्य केन्द्रशासित प्रदेशों की योजना के लिए अनुदान	(-) 2.20		7,463.27		जलापूर्ति, स्वच्छता,आवास एवं शहरी विकास	1,219.29
2,100.59		केंद्रीय एवं केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अनुदान	(-) 1.00		132.46		सूचना एवं प्रसारण	77.34
		केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	13,312.26		2,226.95		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	14.31
		वित्त आयोग अनुदान	4,525.06		387.80		श्रम एवं श्रम कल्याण	111.54
		अन्य अंतरण/ राज्यों को अनुदान	7,891.01		6,697.61		समाज कल्याण एवं पोषाहार	3,534.96
					54.17		अन्य	71.81
					23,417.25		आर्थिक सेवाएँ	14,327.16
					2,286.56		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	848.73
					8,352.30		ग्रामीण विकास	6,745.33
					1,048.26		सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,466.89
					7,698.29		ऊर्जा	1,157.52
					887.56		उद्योग एवं खनिज	143.64
					1,787.19		परिवहन	1,376.27
					1,357.09		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	260.49
					4.30		सहायता अनुदान एवं अंशादान	4.03
					94,765.18		कुल	66,672.60
	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व घाटे			10,819.81	II	खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष	35,951.13
1,05,584.99		कुल		1,17,446.74	1,05,584.99		कुल	1,17,446.74

प्राप्तियाँ			संवितरण							
2016-17		2017-18	2016-17		2017-18	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग		
खण्ड ब अन्य										
11,716.72	III	स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरभिक रोकड़ शेष		17,062.20		III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवर ड्राफ्ट			
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		27,208.40	IV	पूँजीगत परिव्यय	40.99	28,865.96	28,906.95	
				2,090.35		सामान्य सेवाएँ	5.14	2,759.47	2,764.61	
				3,592.49		सामाजिक सेवाएँ	16.40	4,241.94	4,258.34	
				1,074.46		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	1,518.70	1,518.70	
				870.43		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	564.97	564.97	
				1,322.66		जलाधार्मि, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	16.40	1,916.14	1,932.54	
				21.43		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.00	30.10	30.10	
				63.70		समाज कल्याण एवं पोषाहार	0.00	103.74	103.74	
				239.81		अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	108.29	108.29	
				21,525.56		आर्थिक सेवाएँ	19.45	21864.55	21884.00	
				127.89		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	(-) 0.55	198.69	198.14	
				7,891.74		ग्रामीण विकास	0.00	6,387.66	6,387.66	
				0.00		विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0	0	0	
				1,795.68		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	2,665.49	2,665.49	
				5,738.56		ऊर्जा	0.00	6,931.11	6,931.11	
				228.11		उद्योग एवं खनिज	20.00	90.48	110.48	
				5,601.20		परिवहन	0.00	5,402.44	5,402.44	
				142.38		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	188.68	188.68	
23.31	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		21.89	113.87	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	32.93	209.85	242.78
7.99		विद्युत परियोजनाओं/ अन्य से			75.05		विद्युत परियोजनाओं के लिए	14.50	209.85	224.35
15.32		सरकारी सेवकों से			21.38		सरकारी सेवकों को	18.23	0.00	18.23
		अन्य से			17.44		अन्य को	0.20	0.00	0.20

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2016-17		2017-18		2016-17		2017-18	स्थापना और प्रतिबद्ध	योजना	योग
10,819.81	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए		14,823.01		VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए		
21,576.76	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ		13,169.42	4,214.57	VII	लोक ऋण का पुनर्भुगतान		4,653.55
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण		
20,065.17		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्रॉफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	11,770.77		3,460.49		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्रॉफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	3,841.01	
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन					अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन		
		ओमर ड्रॉफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन							
1,511.59		केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,398.65		754.08		केंद्र सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	812.54	
		अंतर्राज्यीय समाशोधन					अंतर्राज्यीय समाशोधन		
5,437.85	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		6,053.42	5,437.85	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		6,053.42
	IX	आकस्मिकता निधि को राशि का अंतरण				IX	आकस्मिकता निधि से व्यय		
61,730.38	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ		57,107.24	57,267.94	X	लोक लेखा संवितरण		46,298.92
1,263.08		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,844.09		1,163.45		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ	1,924.34	
1,074.88		आरक्षित निधि	1,414.92		1,204.03		आरक्षित निधि	1,417.71	
660.28		उचंत एवं विविध	805.73		1,554.67		उचंत एवं विविध	225.93	
9,536.13		प्रेषण	9,862.58		9,543.18		प्रेषण	9,865.34	
49,196.01		जमा एवं अग्रिम	43,179.92		43,802.61		जमा एवं अग्रिम	32,865.60	
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्रॉफ्ट			17,062.20	XI	अंतिम रोकड़ शेष		22,081.56
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
					114.90		रिजर्व बैंक के पास जमा	46.90	
					527.86		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	527.70	
					16,419.44		रोकड़ शेष निवेश	21,506.96	
2,16,889.82		योग		2,25,683.92	2,16,889.82		योग		2,25,683.92

(अन्त: वित्त लेखा, वर्ष 2017-18)

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कंडिका 1.1.3; पृष्ठ 5)

वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्रावक्कलन यथा वास्तविकी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकी	आधिक्य (+)/ घाटा (-)	प्रतिशतता आधिक्य (+) / घाटा (-)
राजस्व प्राप्तियाँ	1,37,158.41	1,17,446.74	(-) 19,711.67	(-) 14.37
कर राजस्व	32,001.12	23,136.49	(-) 8,864.63	(-) 27.70
करेतर राजस्व	2,874.96	3,506.74	631.78	21.98
संघीय करों एवं शुल्कों में अंश	65,326.34	65,083.38	(-) 242.96	(-) 0.37
भारत सरकार से सहायता अनुदान	36,956.00	25,720.13	(-) 11,235.87	(-) 30.40
राजस्व व्यय	1,22,602.82	1,02,623.73	(-) 19,979.09	(-) 16.30
सामान्य सेवाएँ	41,603.48	33,374.30	(-) 8,229.18	(-) 19.78
राज्य का अंग	1,251.87	1,093.38	(-) 158.49	(-) 12.66
राजकोषीय सेवाएँ	1,136.26	855.93	(-) 280.33	(-) 24.67
ब्याज भुगतान एवं कर्ज परिशोधन	10,255.36	9,747.40	(-) 507.96	(-) 4.95
प्रशासनिक सेवाएँ	9,082.35	7,746.50	(-) 1,335.85	(-) 14.71
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	19,877.64	13,931.09	(-) 5,946.55	(-) 29.92
सामाजिक सेवाएँ	53,305.96	45,769.47	(-) 7,536.49	(-) 14.14
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	24,696.22	23,314.59	(-) 1,381.63	(-) 5.59
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5,710.83	5,616.58	(-) 94.25	(-) 1.65
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	11,098.86	5,676.28	(-) 5,422.58	(-) 48.86
सूखना एवं प्रसारण	202.78	130.82	(-) 71.96	(-) 35.49
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,780.69	950.60	(-) 1,830.09	(-) 65.81
श्रम एवं श्रम कल्याण	403.44	320.40	(-) 83.04	(-) 20.58
समाज कल्याण एवं पोषाहार	8,164.47	9,685.22	1,520.75	18.63
अन्य	248.67	74.98	(-) 173.69	(-) 69.85
आर्थिक सेवाएँ	27,688.39	23,475.93	(-) 4,212.46	(-) 15.21
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	4,066.10	3,625.59	(-) 440.51	(-) 10.83
ग्रामीण विकास	12,124.19	11,212.22	(-) 911.97	(-) 7.52
सिंचार्इ एवं बाढ़ नियंत्रण	1,290.29	1,301.16	10.87	0.84
ऊर्जा	5,092.07	4,304.66	(-) 787.41	(-) 15.46
उद्योग एवं खनिज	936.08	755.92	(-) 180.16	(-) 19.25
परिवहन	2,022.72	1,401.80	(-) 620.92	(-) 30.70
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	2,156.94	874.58	(-) 1,282.36	(-) 59.45
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4.99	4.03	(-) 0.96	(-) 19.24
पूँजीगत व्यय	32,195.84	28,906.95	(-) 3,288.89	(-) 10.22
सामान्य सेवाएँ	3,366.06	2,764.61	(-) 601.45	(-) 17.87
सामाजिक सेवाएँ	5,186.35	4,258.34	(-) 928.01	(-) 17.89
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1,698.15	1,518.70	(-) 179.45	(-) 10.57
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	823.99	564.97	(-) 259.02	(-) 31.43
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	2,049.00	1,932.54	(-) 116.46	(-) 5.68
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	166.58	30.10	(-) 136.48	(-) 81.93
समाज कल्याण एवं पोषाहार	448.63	103.74	(-) 344.89	(-) 76.88
अन्य	0.00	108.29	108.29	0
आर्थिक सेवाएँ	23,643.43	21,884.00	(-) 1,759.43	(-) 7.44
कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	310.27	198.14	(-) 112.13	(-) 36.14
ग्रामीण विकास	8,894.87	6,387.66	(-) 2,507.21	(-) 28.19
सिंचार्इ एवं बाढ़ नियंत्रण	3,097.85	2,665.49	(-) 432.36	(-) 13.96
ऊर्जा	5,482.61	6,931.11	1,448.50	26.42
उद्योग एवं खनिज	190.00	110.48	(-) 79.52	(-) 41.85
परिवहन	5,533.53	5,402.44	(-) 131.09	(-) 2.37
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	134.30	188.68	54.38	40.49
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	14,555.59	14,823.01	267.42	1.84
राजकोषीय घाटा (-)	18,112.00	14,304.84	(-) 3,807.16	(-) 21.02
प्राथमिक आधिक्य (+)/घाटा (-)	8,520.65	5,251.06	(-) 3,269.59	(-) 38.37

(आट: बिहार सरकार का बजट प्रावक्कलन एवं वित्त लेस्टे, वर्ष 2017-18)

परिशिष्ट-1.5

(संदर्भ: कंडिका 1.2.2; पृष्ठ 7)
राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े

₹ करोड़ में

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
खंड अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	68,919	78,417	96,123	1,05,585	1,17,447
(i) कर राजस्व	19,961 (29)	20,750 (26)	25,449 (26)	23,742 (23)	23,137(20)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	8,453 (42)	8,607 (41)	10,603 (42)	11,873 (50)	8,298(36)
राज्य उत्पाद शुल्क	3,168 (16)	3,217 (16)	3,142(12)	30(0)	(-)3.00(0)
वाहन पर कर	837 (4)	964 (5)	1081(4)	1257(5)	1,599(7)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,712 (14)	2,699 (13)	3,409(13)	2,982(13)	3,726(16)
भू-राजस्व	202 (1)	277 (1)	695(3)	971(4)	779(3)
माल एवं यात्री कर	4,349 (22)	4,451 (21)	6,087(24)	6,245(26)	1,645(7)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	-	6,747(29)
अन्य कर	240 (1)	535 (3)	432(2)	384(2)	346(2)
(ii) करेतर राजस्व	1,545 (2)	1,558 (2)	2,186(2)	2,403(2)	3,507(3)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	34,829 (51)	36,963 (47)	48,923 (51)	58,881 (56)	65,083(55)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,584 (18)	19,146 (24)	19,565 (21)	20,559 (19)	25,720(22)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15	1493	19	23	22
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	68,934	79,910	96,142	1,05,608	1,17,469
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,907	13,917	18,383	21,577	13,169
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,357	13,199	17,565	20,065	11,771
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	550	718	818	1512	1,398
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	78,841	93,827	1,14,525	1,27,185	1,30,638
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	33,458	40,251	49,106	61,730	57,107
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	1,12,299	1,34,078	1,63,631	1,88,915	1,87,745
खंड ब व्यय / संवितरण					
11. राजस्व व्यय	62,477	72,570	83,616	94,765	1,02,624
योजना	19,096 (31)	25,511 (35)	29,651(35)	33,576(35)	35,951(35)
स्थापना और प्रतिबद्ध	43,381 (69)	47,059 (65)	53,965(65)	61,189(65)	66,673(65)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	22,018 (35)	26,408 (36)	27,972(33)	30,607(32)	33,374(32)
सामाजिक सेवाएँ	26,395 (42)	31,713 (44)	35,943(43)	40,737(43)	45,770(45)
आर्थिक सेवाएँ	14,060 (23)	14,445 (20)	19,697(24)	23,417(25)	23,476(33)
सहायता अनुदान एवं अंशादान	4	4	4	4	4
12. पूँजीगत व्यय	14001	18150	23966	27208	28,907
योजना	13,904 (99)	18,092 (99)	23,930(99)	27,192(100)	28,866(100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	97(1)	58 (1)	36(1)	16(0)	41(0)
सामान्य सेवाएँ	1,333(10)	1,748 (10)	3,617(15)	2,090(8)	2,765(10)
सामाजिक सेवाएँ	1,858(13)	1674 (9)	2,740(11)	3,592(13)	4,258(15)
आर्थिक सेवाएँ	10,810(77)	14,728 (81)	17,609(74)	21,526(79)	21,884(75)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	807	369	621	114	243
14. कुल (11+12+13)	77,285	91,089	1,08,203	1,22,087	1,31,774
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,120	3,609	4,125	4,215	4,653
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,559	2,975	3,423	3,461	3,841

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	561	634	702	754	812
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतराज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
18. संवित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	80,405	94,698	1,12,328	1,26,302	1,36,427
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	29,453	39,200	45,923	57,268	46,299
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	1,09,858	1,33,898	1,58,251	1,83,570	1,82,726
खंड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (-) / राजस्व आधिक्य (+) (1-11)	6,442	5,847	12,507	10,820	14,823
23. राजकोषीय घाटा (-) / राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	(-) 8,352	(-)11,179	(-)12,061	(-)16,479	(-)14,305
24. प्रारंभिक घाटा / प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	(-) 2,892	(-)5,050	(-)4,963	(-)8,288	(-)5,251
खंड द अन्य आँकड़े					
25. व्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	5,460	6,129	7,098	8,191	9,054
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	18,935	22,359	26,426	36,209	43,359
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)@	3,17,101	3,42,951	3,69,469	4,25,888	4,87,628
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	86,939	99,056	1,16,578	1,38,722	1,56,777
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	1,090	2,001	4,721	4,460	5,174
30. अधिकतम दी गई गरंटी (वर्ष के अंत में)	2,587	5,315	9,397	13,053	20,234
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	227	211	144	130	127
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पैंजी	1,274	1,301	1,728	1,521	892
खंड ई राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
कर राजस्व /जी.एस.डी.पी.	6.29	6.05	6.89	5.57	4.74
करेतर राजस्व /जी.एस.डी.पी.	0.49	0.45	0.59	0.56	0.72
केंद्रीय अंतरण /जी.एस.डी.पी.	10.98	10.78	13.24	13.83	13.35
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय /जी.एस.डी.पी.	24.37	26.56	29.29	28.67	27.02
कुल व्यय /राजस्व प्राप्तियाँ	112.14	116.16	112.57	115.63	112.20
राजस्व व्यय /कुल व्यय	80.84	79.67	77.28	77.62	77.88
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय /कुल व्यय	34.15	34.82	33.22	33.37	34.73
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय /कुल व्यय	18.19	15.86	18.20	19.18	17.82
पैंजीगत व्यय /कुल व्यय	18.12	19.93	22.15	22.29	21.94
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पैंजीगत व्यय / कुल व्यय	16.39	18.01	18.81	20.57	19.84
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व आधिक्य /जी.एस.डी.पी.	2.03	1.70	3.39	2.54	3.04
राजकोषीय घाटा /जी.एस.डी.पी.	2.63	3.26	3.26	3.87	2.93
प्राथमिक घाटा /जी.एस.डी.पी.	0.91	1.47	1.34	1.95	1.08
राजस्व अधिशेष /राजकोषीय घाटा	77.14	52.30	103.70	65.66	103.62
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व /जी.एस.डी.पी.	27.42	28.88	31.55	32.57	32.15
राजकोषीय दायित्व /राजस्व प्राप्तियाँ	126.15	126.32	121.28	131.38	133.49
राजकोषीय दायित्व /राज्य के अपने संसाधन	404.25	444.04	421.85	530.59	588.41

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्षों की कुल प्रतिशतता दर्शाते हैं।

@सरकार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े

(आठ: वित्त लेखे वर्ष 2017-18)

परिशिष्ट-1.6

(संदर्भ: कंडिका 1.5.1; पृष्ठ 22)

31 मार्च 2018 को बिहार सरकार के सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31/3/2017 तक	देयताएँ	31/3/2018 तक
96,595.00	आंतरिक ऋण	1,04,524.76
	ब्याज सहित बाजार ऋण	73,896.93
	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.21
	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55
	अन्य संस्थाओं से ऋण	30,606.07
9,595.81	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	10,181.92
	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91
	गैर-योजना ऋण	0.58
	राज्य योजना के लिए ऋण	191.29
	केन्द्र योजना के लिए ऋण	1.01
	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	0.53
	अर्थोपाय अग्रिम के लिए योजनाओं	42.96
	केंद्रीय प्रायोजित योजना	57.74
	राज्यों के लिए अन्य ऋण	9,883.90
350.00	आकस्मिकता निधि	350.00
8,891.14	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	8,810.89
22,916.84	जमा	33,232.88
4,140.43	आरक्षित निधि	4,137.65
74.01	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01
56,961.88	सरकारी लेखा में आधिक्य / अधिशेष	71,784.89
	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	14,823.01
	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	56,961.88
1,99,525.11		2,33,097.00
	परिसम्पत्तियाँ	
1,55,210.22	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	1,84,117.17
	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	23,037.29
	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,61,079.88
20,948.29	ऋण एवं अग्रिम	21,169.18
	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ऋण	15,745.27
	अन्य विकास ऋण	5,337.63
	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	86.28
1,193.65	प्रेषण	1,196.41
151.39	अग्रिम	153.11
4,959.36	उचंत एवं विविध शेष	4,379.57
17,062.20	रोकड़	22,081.56
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
	रिजर्व बैंक में जमा	46.90
	विभागीय रोकड़ शेष	185.73
	स्थायी अग्रिम	341.97
	उद्दिदष्ट निधियों के सहित रोकड़ शेष निवेश	21,506.96
1,99,525.11		2,33,097.00

(आठ: वित्त लेखे वर्ष 2017–18)

परिशिष्ट-1.7

(संदर्भ: कंडिका 1.6.2; पृष्ठ 25)
राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी गयी पद्धति

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (**परिशिष्ट 1.2 का भाग स्व**) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रस्तुत आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय परिवर्ती कारकों के लिए अधिक उछाल के गुणकों पर भी काम किया गया ताकि क्या वित्तीय साधन जुटाने व्यय पैटर्न आदि को इन आधारों में परिवर्तन के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं या ये राजकोषीय समक्ष सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य कारकों से भी प्रभावित हैं।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

चालू मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रवृत्ति

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	3,17,101	3,42,951	3,69,469	4,25,888	4,87,628
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर	12.30	8.15	7.73	15.27	14.50

(आट: आर्थिक एवं सांस्कृतिकी निदेशालय, बिहार सरकार)

कुछ चुने हुए शब्दावली जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृत्ति एवं प्रकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए हैं:

शब्दावली	गणना का आधार
प्राचल की उत्पलावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (ब) के संदर्भ में प्राचल (अ) की उत्पलावकता	प्राचल (अ) की वृद्धि दर/ प्राचल (ब) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
व्यिकास व्यय	सामाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत व्याज भुगतान	व्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
व्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत व्याज दर
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त व्याज	प्राप्त व्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंतर्शेष)/2]*100
राजस्व अधिशेष	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा – व्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटावें मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ:कंडिका 2.3.1; पृष्ठ 28)

₹ 100 करोड़ तथा अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से ज्यादा की बचत वाले अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/ विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(अ) राजस्व							
1	1- कृषि विभाग	2,614.74	191.12	2,805.86	1,655.14	1,150.72	41.01
2	4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	397.67	27.15	424.82	242.35	182.47	42.95
3	12- वित्त विभाग	260.07	8.00	268.07	148.41	119.66	44.64
4	15- पेंशन	19,866.79	0.05	19,866.84	14,296.82	5,570.02	28.04
5	16- पंचायती राज विभाग	8,694.43	454.29	9,148.72	8,540.95	607.77	6.64
6	17- वाणिज्य-कर विभाग	129.13	134.01	263.14	144.51	118.63	45.08
7	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,641.90	777.74	2,419.64	1,211.48	1,208.16	49.93
8	21- शिक्षा विभाग	24,318.99	7,126.09	31,445.08	23,741.87	7,703.21	24.50
9	25- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	168.64	151.24	319.88	121.36	198.52	62.06
10	26- श्रम संसाधन विभाग	413.95	41.86	455.81	353.31	102.50	22.49
11	27- विधि विभाग	696.89	117.65	814.54	609.80	204.74	25.14
12	30- अल्पसंरच्यक कल्याण विभाग	289.97	8.00	297.97	88.54	209.43	70.29
13	33- सामान्य प्रशासन विभाग	518.61	31.41	550.02	383.51	166.51	30.27
14	35- योजना एवं विकास विभाग	1,386.42	4.93	1,391.35	361.00	1,030.35	74.05
15	39- आपदा प्रबंधन विभाग	552.00	3,410.58	3,962.58	2,599.87	1,362.71	34.39
16	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	834.07	34.24	868.31	561.46	306.85	35.34
17	41- पथ निर्माण विभाग	1,129.91	200.00	1,329.91	853.74	476.17	35.80
18	42- ग्रामीण विकास विभाग	9,664.49	705.08	10,369.57	5,203.18	5,166.39	49.82
19	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,297.90	108.61	1,406.51	1,016.23	390.28	27.75
20	45- गन्ना उद्योग विभाग	118.58	101.64	220.22	92.39	127.83	58.05
21	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	4,335.01	712.92	5,047.93	3,236.04	1,811.89	35.89
22	50- लघु जल संसाधन विभाग	302.52	98.08	400.60	300.26	100.34	25.05
23	51- समाज कल्याण विभाग	5,846.24	2,386.54	8,232.78	6,090.58	2,142.20	26.02
(अ) कुल राजस्व		85,478.92	16,831.23	1,02,310.15	71,852.80	30,457.35	29.77
पूँजीगत							
24	1- कृषि विभाग	30.00	184.94	214.94	37.01	177.93	82.78

क्रम सं०	अनुदान/ विनियोजन संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	3- भवन निर्माण विभाग	3,405.67	1,032.05	4,437.72	2,088.91	2,348.81	52.93
26	9- सहकारिता विभाग	185.20	71.74	256.94	138.80	118.14	45.98
27	20- रसायन विभाग	818.99	352.21	1,171.20	552.04	619.16	52.87
28	21-शिक्षा विभाग	932.40	730.09	1,662.49	1,213.84	448.65	26.99
29	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	305.10	48.00	353.10	241.40	111.70	31.63
30	35- योजना एवं विकास विभाग	1,455.31	10.00	1,465.31	877.73	587.58	40.10
31	49- जल संसाधन विभाग	2,793.54	1,160.45	3,953.99	2,548.55	1,405.44	35.54
32	50- लघु जल संसाधन विभाग	304.30	0.00	304.30	129.79	174.51	57.35
(ब) कुल पूँजीगत		10,230.51	3,589.48	13,819.99	7,828.07	5,991.92	43.36
महायोग (अ+ब)		95,709.43	20,420.71	1,16,130.14	79,680.87	36,449.27	31.39

(स्रोत: वर्ष 2017-18 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भःकंडिका 2.3.2; पृष्ठ 29)
2013-18 के दौरान सतत् बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व (दत्तमत)						
		राशि	राशि	राशि	राशि	राशि
1	1- कृषि विभाग	1,474.44 (43.34)	1,590.88 (44.10)	1,652.10 (48.66)	1,214.66 (42.22)	1,150.72 (41.01)
2	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	607.69 (62.55)	211.59 (32.11)	188.32 (31.37)	133.55 (22.25)	148.73 (19.90)
3	12- वित्त विभाग	106.32 (27.48)	124.99 (45.19)	116.02 (45.16)	100.83 (38.82)	119.66 (44.64)
4	15- पेंशन	4,245.25 (30.84)	306.47 (2.63)	1,347.30 (10.22)	3,770.68 (23.17)	5,570.01 (28.04)
5	16- पंचायती राज विभाग	1,070.78 (26.28)	2,334.24 (49.57)	2,572.10 (47.06)	919.67 (12.45)	607.76 (6.64)
6	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	459.08 (41.34)	503.29 (43.77)	976.24 (40.67)	1,097.53 (50.74)	1,208.16 (49.93)
7	20- स्वास्थ्य विभाग	623.24 (22.31)	914.11 (21.60)	964.06 (21.44)	3,350.96 (41.37)	1,427.99 (19.99)
8	21- शिक्षा विभाग	4,389.62 (23.52)	8,534.72 (34.32)	5,813.90 (23.77)	3,837.45 (16.77)	7,703.21 (24.50)
9	22- गृह विभाग	611.15 (12.58)	1,002.61 (16.18)	622.85 (10.09)	970.47 (13.55)	866.99 (11.77)
10	23- उद्योग विभाग	205.87 (27.69)	936.05 (65.35)	390.42 (28.40)	191.03 (26.13)	150.99 (18.36)
11	27- विधि विभाग	141.61 (22.79)	179.09 (26.60)	146.64 (22.14)	289.30 (34.98)	204.74 (25.14)
12	33- सामान्य प्रशासन विभाग	114.25 (27.71)	172.66 (31.77)	181.49 (33.32)	169.23 (25.13)	166.51 (30.27)
13	35- योजना एवं विकास विभाग	771.08 (81.59)	540.78 (46.76)	135.04 (50.24)	1,291.09 (55.48)	1,030.36 (74.05)
14	37- ग्रामीण कार्य विभाग	144.10 (16.52)	839.93 (74.86)	422.07 (29.96)	432.17 (27.33)	228.19 (14.39)
15	39- आपदा प्रबंधन विभाग	446.31 (31.10)	661.83 (59.29)	2,406.75 (85.92)	1,210.03 (67.09)	1,362.71 (34.39)
16	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	132.67 (21.20)	224.14 (31.73)	238.37 (32.74)	363.65 (44.40)	306.85 (35.34)
17	41- पथ निर्माण विभाग	413.22 (32.97)	359.65 (28.57)	117.63 (11.39)	222.55 (17.66)	476.18 (35.81)
18	42- ग्रामीण विकास विभाग	221.70 (11.74)	3,599.42 (53.52)	3,554.04 (50.18)	4,468.35 (43.48)	5,166.39 (49.82)
19	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	189.52 (17.90)	227.39 (19.44)	361.50 (18.85)	497.99 (30.35)	390.28 (27.75)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	बचत की मात्रा (कुल अनुदान का प्रतिशत)				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	819.97 (32.32)	1,522.13 (46.12)	1,133.68 (36.44)	1,244.82 (26.93)	1,811.89 (35.89)
21	50- लघु जल संसाधन विभाग	668.14 (66.11)	375.41 (57.59)	359.96 (51.86)	102.64 (30.00)	100.34 (25.05)
22	51- समाज कल्याण विभाग	1,324.08 (25.28)	2,515.37 (33.91)	1,502.39 (22.11)	1,798.95 (27.08)	2,142.20 (26.02)
योग		19,180.09	27,676.75	25,202.87	27,677.60	32,340.86
पूँजीगत (दत्तमत)						
23	3- भवन निर्माण विभाग	659.52 (40.89)	1,719.79 (60.50)	1,347.14 (45.12)	1,537.81 (53.43)	2,348.80 (52.93)
24	10- ऊर्जा विभाग	1,670.51 (38.87)	2,323.07 (34.45)	1,207.86 (29.16)	5,330.74 (47.83)	130.74 (1.79)
25	41- पथ निर्माण विभाग	846.96 (17.18)	661.32 (12.50)	599.98 (11.91)	442.80 (7.65)	372.09 (6.26)
26	49- जल संसाधन विभाग	1,853.56 (53.62)	1,262.62 (50.27)	251.54 (14.48)	511.32 (23.38)	1,405.44 (35.54)
27	50- लघु जल संसाधन विभाग	108.10 (35.52)	181.00 (50.03)	122.14 (37.85)	161.05 (56.45)	174.51 (57.35)
योग		5,138.65	6,147.80	3,528.66	7,983.72	4,431.58
महायोग		24,318.74	33,824.55	28,731.53	35,661.32	36,772.44

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.3.3; पृष्ठ 29)

अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹10 लाख या उससे अधिक)
जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
(अ) राजस्व (भारित)					
1	13- ब्याज भुगतान	9,591.36	9140.88	450.48	0.42
2	28- उच्च न्यायालय बिहार	166.42	150.70	15.72	12.09
3	34- बिहार लोक सेवा आयोग	22.60	21.03	1.57	0.10
(अ) योग राजस्व (भारित)		9,780.38	9312.61	467.77	12.61
(ब) राजस्व (दत्तमत)					
4	1- कृषि विभाग	2,614.74	1655.14	959.60	191.12
5	3- भवन निर्माण विभाग	601.67	514.39	87.28	15.31
6	4- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	397.67	242.35	155.32	27.15
7	7- निगरानी विभाग	36.21	32.58	3.63	0.97
8	10- ऊर्जा विभाग	5,094.83	4374.84	719.99	0.20
9	11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,490.51	1207.14	283.37	1.86
10	12- वित्त विभाग	260.07	148.41	111.66	8.00
11	16- पंचायती राज विभाग	8,694.42	8540.95	153.47	454.29
12	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,641.90	1211.48	430.42	777.74
13	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	316.97	259.18	57.79	19.74
14	20- स्वास्थ्य विभाग	6,182.53	5717.10	465.43	962.56
15	21- शिक्षा विभाग	24,318.99	23741.87	577.12	7,126.10
16	22- गृह विभाग	7,233.89	6500.78	733.11	133.89
17	23- उद्योग विभाग	733.26	671.56	61.70	89.29
18	25- सूचना प्रावैदिकी विभाग	168.64	121.36	47.28	151.24
19	26- श्रम संसाधन विभाग	413.95	353.31	60.64	41.86
20	27- विधि विभाग	696.89	609.80	87.09	117.65
21	29- खान एवं भूतत्व विभाग	25.85	21.03	4.82	17.97
22	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	289.97	88.54	201.43	8.00
23	31- संसदीय कार्य विभाग	2.01	1.91	0.10	0.20
24	32- विधानमंडल	170.21	153.68	16.53	8.43
25	33- सामान्य प्रशासन विभाग	518.61	383.51	135.10	31.41
26	35- योजना एवं विकास विभाग	1,386.42	361.00	1,025.42	4.94

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(3-4)=(5)	(6)
27	38- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	152.80	136.77	16.03	67.24
28	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	834.06	561.46	272.60	34.24
29	41- पथ निर्माण विभाग	1,129.91	853.74	276.17	200.00
30	42- ग्रामीण विकास विभाग	9,664.48	5,203.18	4,461.30	705.08
31	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,297.90	1,016.23	281.67	108.61
32	45- गन्ना उद्योग विभाग	118.58	92.39	26.19	101.64
33	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	4,335.01	3,236.04	1,098.97	712.92
34	50- लघु जल संसाधन विभाग	302.52	300.26	2.26	98.08
(ब) योग राजस्व (दत्तमत)		81,125.47	68,311.98	12,813.49	12,217.73
योग राजस्व(अ+ब)		90,905.85	77,624.59	13,281.26	12,230.34
(स) पूँजीगत (दत्तमत)					
35	3- भवन निर्माण विभाग	3,405.67	2,088.91	1,316.76	1,032.04
36	9- सहकारिता विभाग	185.20	138.80	46.40	71.73
37	20- स्वास्थ्य विभाग	818.99	552.04	266.95	352.21
38	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	305.10	241.40	63.70	48.00
39	35- योजना एवं विकास विभाग	1,455.31	877.73	577.58	10.00
40	37- ग्रामीण कार्य विभाग	8,331.86	6,396.35	1,935.51	1,367.00
41	49- जल संसाधन विभाग	2,793.54	2,548.55	244.99	1,160.45
42	51- समाज कल्याण विभाग	160.02	15.91	144.11	18.79
(स) योग पूँजीगत (दत्तमत)		17,455.69	12,859.69	4,596.00	4,060.22
महायोग (अ+ब+स)		1,08,361.54	90,484.28	17,877.26	16,290.56

(स्रोत: वर्ष 2017-18 का विनियोग लेखा)

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 30)
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1	3475-00-106-0001- माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	8.46	0.44	7.82	1.08	0.00
2	2	2403-00-102-0007- मवेशी मेला एवं प्रदर्शनी और पशु कल्याण	1.25	0.17	1.17	0.20	0.05
3		2403-00-106-0212- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	1.26	1.65	0.00	2.91	0.00
4		2403-00-106-0312- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.84	1.05	0.00	1.89	0.00
5		2403-00-789-0206- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2.16	1.74	2.12	1.78	0.00
6		2403-00-789-0207- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	0.24	0.76	0.00	1.00	0.00
7		2403-00-789-0307- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	0.16	0.50	0.00	0.66	0.00
8	3	2052-00-090-0020- भवन निर्माण विभाग	2.36	0.22	1.99	0.00	0.59
9		2059-80-001-0001- निर्देशन	17.07	1.59	16.88	1.66	0.12
10		2059-80-001-0004- निष्पादन	155.72	5.01	143.33	0.00	17.40
11		4059-60-051-0106- स्टेडियम एवं खेल संरचना	100.00	9.93	84.99	24.94	0.00
12	4	2052-00-090-0024- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	7.59	0.50	7.38	0.69	0.02
13	8	2204-00-102-0003- राष्ट्रीय कनीय कैडेट कोर शाखा	9.22	0.12	8.82	0.52	0.00
14		2204-00-104-0001- खेलकूद	8.85	0.60	8.15	1.01	0.29
15		2205-00-102-0101- कला और संस्कृति का संवर्धन	11.60	1.00	11.42	1.14	0.04
16		2251-00-090-0003- कला, संस्कृति और युवा विभाग	2.92	0.24	2.72	0.44	0.00
17	12	7610-00-201-0001- सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम हेतु	7.00	0.50	6.79	0.51	0.20
18	16	2515-00-001-0003- जिला पंचायत की स्थापना	204.12	2.21	181.66	23.66	1.01
19	18	3456-00-001-0002- जिला प्रभार	46.92	3.53	44.65	0.00	5.80
20	19	2406-01-001-0001- निर्देशन और प्रशासन	19.02	0.47	17.14	2.35	0.00
21		2406-01-101-0002- वर्किंग प्लान प्रमंडल	1.34	0.06	1.22	0.08	0.10
22		2406-04-101-0302- राष्ट्रीय संसाधन तथा परितत्र संरक्षण	1.56	1.55	0.58	2.52	0.01
23	20	2210-01-110-0011- संक्रामक रोग अस्पताल, पटना	2.62	0.04	2.53	0.13	0.00
24		2210-01-200-0001- यक्षमा निरोध कार्यक्रम	56.28	2.32	55.52	1.82	1.26
25		2210-01-200-0002- कुष्ठरोग निरोध कार्यक्रम	50.71	0.50	45.59	3.31	2.31
26		2210-01-200-0006- विधायक अस्पताल, पटना	1.99	0.28	1.97	0.25	0.05
27		2210-06-107-0001- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ	5.02	0.09	4.97	0.09	0.05
28		2210-06-113-0001- प्रशिक्षण एवं प्रसार आंदोलन	0.64	0.14	0.62	0.03	0.13

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अन्धर्यण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	20	2211-00-101-0205- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	278.36	1.90	242.39	0.00	37.87
30		2211-00-101-0305- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	217.83	3.80	198.90	0.00	22.73
31		2251-00-090-0007- स्वास्थ्य विभाग	4.54	0.05	3.73	0.86	0.00
32	21	2202-01-192-0001- नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	37.40	0.80	35.74	0.00	2.46
33		2202-01-193-0001- नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	53.50	0.80	41.85	0.00	12.45
34		2202-01-197-0002- प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	1,374.44	2.00	1,179.61	0.00	196.83
35		2202-02-001-0002- जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	161.02	40.00	155.91	0.00	45.11
36		2202-03-103-0003- राजकीय महिला महाविद्यालय	12.04	0.10	10.28	0.00	1.86
37		2202-80-001-0001- मुख्यालय स्थापना	6.97	0.15	6.11	0.00	1.01
38		2202-80-001-0002- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	1.37	0.08	0.92	0.00	0.53
39		2202-80-003-0008- प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	19.49	3.50	18.67	0.00	4.32
40		2202-80-004-0004- मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान	1.99	0.09	1.36	0.00	0.72
41		2202-80-004-0005- अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	0.62	0.04	0.51	0.00	0.15
42		2202-80-004-0007- के० पी० जायसवाल शोध संस्थान, पटना	2.34	0.07	1.79	0.00	0.62
43		2202-80-004-0018- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	9.26	0.21	7.23	0.00	2.24
44		2205-80-800-0006- प्रक्षेत्रीय अभिलेख पर्यालोचन समिति	0.17	0.01	0.17	0.00	0.01
45		2205-00-105-0001- सार्वजनिक पुस्तकालय	2.31	0.05	1.36	0.00	1.00
46	22	2052-00-090-0002- गृह (विशेष) विभाग	14.62	0.30	12.79	2.11	0.02
47		2055-00-109-0017- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय	21.00	1.00	18.82	3.00	0.18
48		2055-00-111-0002- आर्डर पुलिस	211.55	0.20	171.52	0.00	40.23
49		2055-00-114-0002- कम्प्यूटर	3.03	0.18	2.68	0.53	0.00
50		2056-00-001-0001- जेल निरीक्षणालय	7.55	0.44	6.90	1.09	0.00
51		2056-00-003-0002- बंदियों के प्रशिक्षण हेतु	0.10	0.20	0.04	0.26	0.00
52		2056-00-101-0003- उप जेल	38.09	0.10	27.42	0.00	10.77
53		2235-02-106-0002- परिवीक्षा सेवाएँ	10.58	0.10	9.75	0.92	0.01
54		2235-60-200-0011- मानवता के आधार पर राहत	1.10	0.25	0.93	0.42	0.00
55	23	2851-00-102-0001- प्रदर्शन केन्द्र	24.26	0.34	19.79	4.81	0.00
56		2852-08-001-0001- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निदेशालय	0.71	0.01	0.68	0.04	0.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अन्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	23	2852-80-102-0160- प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	396.52	26.51	375.02	48.01	0.00
58		2852-80-102-0164- बिहार फाउन्डेशन	02.82	0.69	1.72	1.79	0.00
59	24	2220-60-106-0002- जिला इकाईयाँ	24.90	0.74	15.78	9.84	0.02
60	25	2852-07-202-0107- सूचना प्रावैद्यिकी संबंधी प्रचार-प्रसार योजना	3.00	10.00	1.45	11.55	0.00
61	26	2230-01-001-0001- श्रमायुक्त	5.66	0.08	5.05	0.66	0.03
62		2230-01-101-0007- कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का क्रियान्वयन	29.82	0.02	23.80	6.02	0.02
63		2230-01-101-0108- श्रम अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण	10.78	0.06	10.74	0.09	0.01
64		2230-03-102-0001- शिशिक्षा प्रशिक्षण योजना	2.56	0.05	2.20	0.41	0.00
65	27	2014-00-114-0001- कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता	9.37	0.70	8.68	1.39	0.00
66		2014-00-114-0007- न्यायिक सुविधाएँ (वित्त आयोग की अनुशंसा)	7.00	0.70	0.79	6.86	0.05
67		2014-00-117-0001- परिवार न्यायालय	12.43	0.17	8.85	3.58	0.17
68	30	2251-00-090-011- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	5.58	0.27	5.26	0.59	0.00
69	32	2011-02-101-0006- विरोधी दल का नेता	0.94	0.02	0.56	0.40	0.00
70		2011-02-102-0005- विरोधी दल का नेता	0.69	0.02	0.23	0.48	0.00
71		2011-02-103-0001- विधान सभा सचिवालय	40.22	0.62	35.25	5.59	0.00
72	35	2052-00-090-0010- योजना एवं विकास विभाग	10.88	0.20	9.41	1.47	0.20
73	36	4215-01-796-0217- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4.50	1.00	4.05	1.45	0.00
74	39	2245-02-112-0002- जनसंख्या का निष्क्रमण	124.54	8.00	83.27	48.80	0.47
75		2251-00-090-0017- आपदा प्रबंधन विभाग	4.75	0.62	4.11	1.21	0.05
76	40	2029-00-102-0101- सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य का पुनरीक्षण	33.82	3.00	32.92	2.81	1.09
77		2052-00-090-0017- राजस्व एवं भूमि-सुधार विभाग	11.83	0.25	9.16	2.24	0.68
78		2506-00-102-0001- जोतों की चकबन्दी	4.62	0.05	3.36	1.31	0.00
79	42	2501-06-789-0202- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	127.66	63.74	121.74	69.66	0.00
80		2501-06-796-0202- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	92.44	4.40	88.15	8.69	0.00
81	43	2203-00-103-0001- सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	0.99	0.17	0.78	0.38	0.00
82	44	2251-00-090-0023- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	4.84	0.38	3.86	1.36	0.00
83	49	2711-01-103-0002- अन्य रख-रखाव व्यय	200.55	0.06	195.67	4.79	0.15
योग			4,416.87	216.50	3,889.74	330.14	413.49

(स्रोत: 2017-18 का विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 30)
निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	02	2403-00-106-0310- राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	16.16	3.48	18.04	1.57	0.03
2.	09	2425-00-001-0001- निदेशन	4.86	0.15	4.96	0.03	0.02
3.	12	7610-00-202-0001- सरकारी सेवकों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	7.00	1.00	7.31	0.01	0.68
4.	13	2049-04-112-0001- बाह्य संपोषित स्कीमों के लिए कर्ज पर ब्याज	108.60	28.00	134.11	0.00	2.49
5.		2049-60-701-0003- विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय	6.00	6.00	10.89	0.00	1.11
6.	15	2071-01-106-0003- सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को घरेलू सत्कार भत्ता	0.10	0.25	0.17	0.17	0.01
7.	19	2406-01-003-0001- प्रशिक्षण, जन संपर्क एवं शोध हेतु	1.61	0.39	1.92	0.07	0.01
8.	20	2210-06-104-0001- औषध नियंत्रण स्थापना	14.61	1.34	15.05	0.71	0.19
9.	21	2202-01-001-0105- शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	55.00	9.28	64.19	0.00	0.09
10.		2202-02-001-0003- क्षेत्रीय उप-निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	6.27	0.75	6.67	0.00	0.35
11.		2202-80-003-0006- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	30.92	5.63	33.43	0.00	3.12
12.		2202-80-003-0007- प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	3.51	1.00	3.56	0.00	0.95
13.		2251-00-090-0002- शिक्षा विभाग	10.90	6.50	12.45	0.00	4.95
14.	22	2052-00-090-0006- गृह (पुलिस) विभाग	6.09	0.82	6.70	0.00	0.21
15.		2055-00-003-0008- प्रशिक्षण विद्यालय, डुमराँव	5.82	1.38	6.49	0.00	0.71
16.	26	2230-03-101-0101- नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	4.00	4.00	5.92	2.05	0.03
17.	40	2029-00-001-0102- भूमि जोतों की चकबन्दी	15.00	4.00	18.30	0.63	0.07
18.	41	5054-03-337-0102- वृहद सड़कें	1215.00	74.00	1220.15	15.88	52.97
19.	48	2217-01-191-0116- नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएँ	41.46	13.52	54.90	0.00	0.08
20.	49	3451-00-090-0009- जल संसाधन विभाग	19.95	2.45	20.91	1.44	0.05
21.		4700-80-051-0104- सिंचार्इ सृजन परियोजनाएँ (कार्य) (नाबाड़ संपोषित योग्यना)	290.75	50.00	306.26	0.00	34.49
22.		4711-01-789-0104- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ (कार्य)	220.00	50.00	263.75	2.16	4.09
योग			2,083.61	263.94	2,216.13	24.72	106.70

(योत: 2017-18 का विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.3.4; पृष्ठ 30)
निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अपर्याप्त निकासी

₹ करोड़ में

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजना	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2	2403-00-101-0004- पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान	1.81	0.24	1.52	0.01	0.04
2		2403-00-101-0101- अस्पताल औषधालय तथा अन्य स्थापना	102.32	7.52	78.82	15.90	0.08
3		2403-00-102-0006- पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना	50.22	0.17	45.48	4.56	0.01
4		2403-00-102-0101- फोजन सीमेन बैंक	14.20	2.26	11.68	0.25	0.01
5		2403-00-113-0001- राज्य पशुधन अनुसंधान व संस्थान की स्थापना	10.04	1.69	8.09	0.25	0.01
6	3	2059-80-053-0001- अनुरक्षण और मरम्मत	270.00	54.02	211.45	0.00	4.53
7		4059-60-051-0107- सांस्कृतिक संरचना	208.01	9.93	82.53	115.40	0.15
8	4	3053-80-003-0001- प्रशिक्षण तथा शिक्षा	5.45	0.50	2.97	1.97	0.01
9	6	2015-00-108-0001- मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय	5.05	1.24	3.42	0.38	0.01
10	8	2205-00-107-0101- संग्रहालय	14.70	1.00	4.72	8.50	0.48
11	9	2425-00-101-0001- लेखापरीक्षा	26.68	0.62	25.55	0.44	0.07
12	12	7610-00-202-0004- विधान सभा के सदस्यों को मोटर कार क्रय हेतु अग्रिम	14.00	1.50	3.39	8.71	0.40
13	13	2049-01-123-0001- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर व्याज	2227.42	4.00	2223.29	0.00	0.13
14		2049-03-104-0001- साधारण भविष्य निधि पर व्याज	621.57	56.55	240.85	0.00	324.17
15	15	2071-01-106-0001- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को देय अंशदान	9.39	0.25	2.03	0.00	7.11
16	18	3456.00-001-0003- जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	16.39	2.03	11.21	0.00	3.15
17	19	2406-01-101-0001- वनों का विस्तार, उन्नति एवं सुरक्षा	89.72	1.72	77.21	10.75	0.04
18		2406-02-110-0323- एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	10.43	1.55	2.18	6.69	0.01
19		2406-04-101-0201- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एनोजी0आई0एम0)	12.08	3.01	4.88	4.17	0.02
20		2406-04-101-0301- राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एनोजी0आई0एम0)	8.06	2.01	3.23	2.78	0.04
21	20	2210-01-110-0008- श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	69.13	3.50	60.33	0.00	5.30
22		2210-01-110-0013- सदर एवं अनुमंडल अस्पताल	550.57	2.60	444.80	50.50	52.67

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजना	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	आंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	21	2210-01-200-0005- अन्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	31.61	0.02	28.20	3.00	0.39
24		2210-03-101-0003- स्वास्थ्य उपकेन्द्र	40.85	0.49	32.50	2.62	5.24
25		2210-03-103-0001- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	991.60	2.32	930.19	24.35	34.74
26		2210-05-105-0007- मगध मेडिकल कॉलेज	39.36	1.00	34.42	3.62	0.32
27		2210-06-101-0003- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	37.27	0.20	20.68	15.06	1.33
28		2211-00-001-0204- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	115.00	1.90	12.63	0.00	100.47
29		2211-00-001-0304- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	90.64	3.80	20.99	0.00	65.85
30	21	2202-02-109-0001- अन्य विद्यालय	997.07	61.94	795.82	0.00	139.31
31		2202-03-001-0001- निदेशन तथा प्रशासन	9.33	0.66	2.60	0.00	6.07
32		2202-03-104-0003- वित्त संपोषित महाविद्यालय	125.00	0.43	89.30	0.00	35.27
33		2202-03-113-0101- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	55.00	9.28	2.50	0.00	43.22
34	22	2055-00-001-0009- प्रतिनियुक्ति अर्ध सैनिक बलों पर व्यय	245.56	12.00	191.48	32.82	9.26
35		2055-00-109-0005- स्पेशल ऑफिजलरी पुलिस हेतु	178.45	26.63	131.66	0.00	20.16
36		2055-00-109-0006- उग्रवाद प्रभावित थानों / ओ० पी० के सुदृढ़ीकरण हेतु एस.आर.ई. स्कीम के तहत	10.00	2.50	1.97	5.51	0.02
37		2056-00-101-0002- जिला जेल	160.09	0.31	140.86	0.00	18.92
38	23	2851-00-103-0103- हस्तकरघा विकास की योजना	5.95	0.67	5.07	0.20	0.01
39		2852-80-001-0002- निदेशन	27.94	0.01	26.34	1.57	0.02
40	24	2220-01-001-0001- निदेशन और प्रशासन	8.49	0.74	4.11	3.63	0.01
41	27	2014-00-105-0001- सिविल तथा सत्र न्यायालय	592.75	0.87	507.86	83.18	0.84
42	32	2011-02-101-0005- सदस्यगण	68.22	0.64	56.07	9.90	1.61
43	35	2053-00-094-0007- योजनातंत्र का सुदृढ़ीकरण	104.06	0.20	70.48	22.24	11.14
44	40	2029-00-103-0206- राष्ट्रीय भूलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन एल आर एम पी)	73.27	7.00	4.33	61.92	0.02
45	41	5054-02-337-0101- भारत नेपाल सीमा सङ्क	450.00	49.00	95.63	4.85	300.52
46	43	2203-00-112-0001- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	37.88	1.08	33.48	3.31	0.01
47	49	2711-01-001-0003- क्षेत्रीय स्थापना	209.31	2.51	191.23	15.40	0.17
48		4700-80-051-0105- सिंचाई सृजन परियोजना (कार्य)	646.76	25.00	366.92	100.18	154.66
49		4700-80-789-0102- सिंचाई सृजन परियोजना	303.46	50.00	179.14	30.27	44.05
50		4711-01-051-0110- बाढ़ नियंत्रण परियोजना (कार्य)	281.62	25.00	238.73	0.33	17.56
योग			10,273.78	444.11	7,764.82	655.22	1,409.63

(स्रोत: 2017-18 का विस्तृत विवियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 30)

वर्ष के दौरान वृहत् अभ्यर्पण (₹ पाँच करोड़ और कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	1- कृषि विभाग	2401-00-102-0201- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	74.06	22.33	51.73	0.00	69.85
2.		2401-00-102-0301- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	83.00	36.05	46.95	0.00	56.57
3.		2401-00-103-0218- बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन	27.79	9.54	18.25	0.00	65.67
4.		2401-00-103-0318- बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन	13.52	1.85	11.67	0.00	86.32
5.		2401-00-104-0205- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	20.02	3.60	16.42	0.00	82.02
6.		2401-00-104-0305- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	13.35	2.40	10.95	0.00	95.64
7.		2401-00-105-0207- राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	20.39	0.89	19.50	0.00	95.66
8.		2401-00-105-0307- राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	13.59	0.59	13.00	0.00	84.32
9.		2401-00-109-0218- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	66.07	10.27	55.71	0.09	89.09
10.		2401-00-109-0318- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	63.13	6.84	56.24	0.05	66.53
11.		2401-00-109-0103- बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना	145.25	48.52	96.64	0.09	53.59
12.		2401-00-789-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	32.00	14.84	17.15	0.01	73.88
13.		2401-00-789-0237- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	14.28	3.70	10.55	0.03	84.45
14.		2401-00-789-0239- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	12.73	1.98	10.75	0.00	51.29
15.		2401-00-789-0303- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	28.00	13.64	14.36	0.00	60.75
16.		2401-00-789-0323- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	16.00	6.28	9.72	0.00	89.15
17.		2401-00-789-0339- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	12.17	1.32	10.85	0.00	77.47
18.		2401-00-789-0120- प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाइजेशन	28.80	6.47	22.31	0.02	87.46

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19.		2401-00-789-0125- बाढ़/सुखाड़ की आपात कालीन योजना	28.00	3.49	24.49	0.02	50.53
20.		2401-00-789-0126- जैविक खेती का उन्नयन	20.76	10.27	10.49	0.00	84.54
21.		2415-01-277-0312- कौशल विकास मिशन	9.96	1.54	8.42	0.00	96.06
22.	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2405-00-001-0101- मत्स्य निदेशालय का पुर्नगठन	18.29	0.72	17.57	0.00	59.50
23.	3- भवन निर्माण विभाग	2059-60-053-0001- शहरी अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोधार	10.00	4.05	5.95	0.00	72.89
24.		2059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	9.70	2.43	7.07	0.20	94.89
25.		4059-01-051-0113- सहकारी विभाग का भवन	17.04	0.58	16.17	0.29	61.90
26.		4059-01-051-0116- संयुक्त श्रमिक भवन का निर्माण	38.19	14.54	23.65	0.00	69.85
27.		4059-01-051-0117- प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग)	301.14	109.94	191.11	0.09	63.46
28.		4059-01-051-0122- अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय	25.00	2.98	21.72	0.30	86.88
29.		4059-60-051-0015- ई0वी0एम0 गोदाम का निर्माण (निर्वाचन विभाग)	46.00	0.77	45.23	0.00	98.33
30.		4059-60-051-0107- सांस्कृतिक संरचना	208.01	82.53	125.33	0.15	60.25
31.		4059-60-051-0121- पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण	44.00	11.56	32.35	0.09	73.52
32.		4059-60-051-0123- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	50.00	19.27	30.27	0.46	60.54
33.		4059-80-051-0220- ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	110.00	33.53	76.47	0.00	69.52
34.		4059-80-051-0221- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	93.00	14.86	78.04	0.10	83.91
35.		4059-80-051-0320- ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका क्षेत्र अवसंरचना सुविधाओं को विकास	73.33	17.78	55.35	0.20	75.48
36.		4059-80-051-0117- इंजिनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय और संस्थाओं के लिए भवनें (विज्ञान तथा प्रावैदिकी विभाग)	98.22	42.83	53.14	2.25	54.10
37.		4202-02-104-0108- पॉलिटेक्निक भवन (निश्चय)	200.00	97.78	102.22	0.00	51.11

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38.		4202-02-105-0105- इंजिनियरिंग महाविद्यालय भवन (निश्चय)	455.00	132.09	319.18	3.73	70.15
39.		4216-01-700-0105- न्यायधीशों के आवास (विधि विभाग)	211.00	24.24	186.00	0.76	88.15
40.		4216-80-051-0103- अल्संख्यक कल्याण विभाग के आवास	13.00	1.47	11.53	0.00	88.69
41.		4225-80-051-0103- अल्संख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	77.00	12.29	64.71	0.00	84.04
42.		4235-02-104-0101- बृद्धाश्रम	31.26	4.47	23.42	3.37	74.92
43.	4-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	2070-00-001-0107- बिहार राज्य विकास मिशन	200.00	70.00	130.00	0.00	65.00
44.		2070-00-114-0001- सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण	59.19	23.18	36.00	0.01	60.82
45.	9- सहकारिता विभाग	2401-00-789-0342- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम अनुदान	79.47	17.09	62.38	0.00	78.50
46.	11- पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा कल्याण विभाग	4225-03-277-0101- आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	39.58	17.91	21.64	0.03	54.67
47.	12- वित्त विभाग	2054-00-095-0103- बिहार राजस्व प्रशासन इन्ड्रानेट (ब्रेन परियोजना एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट)	60.00	20.00	40.00	0.00	66.67
48.	16- पंचायती राज विभाग	2515-00-001-0102- जिला पंचायत की स्थापना	10.00	0.30	9.70	0.00	97.00
49.	17- वाणिज्य कर विभाग	2043-00-101-0001- जिला प्रभार	92.43	42.62	49.75	0.06	75.47
50.	18- खाद्य एवं उपयोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-198-0101- निगराणी तथा अनुशव्वरण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	7.50	0.40	7.10	0.00	94.67
51.		3456-00-789-0302- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	259.46	93.59	134.35	31.52	51.78
52.	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-02-110-0223- एकीकृत वन्यजीव	15.65	2.93	12.72	0.00	81.28
53.		2406-02-110-0224- बाघ परियोजना	14.90	5.26	9.64	0.00	64.70
54.		2406-02-110-0324- बाघ परियोजना	9.94	4.65	5.29	0.00	53.22
55.	20- स्वास्थ्य विभाग	2210-03-789-0201- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	205.48	41.09	164.39	0.00	80.00
56.		2210-03-796-0202- एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	12.84	2.80	10.04	0.00	78.19

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57.		2211-00-102-0202- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	11.38	2.62	8.69	0.07	76.36
58.		2230-03-102-0102- स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास के प्रशिक्षण केन्द्र बिहार का शुभारंभ	19.88	0.10	19.78	0.00	99.50
59.		4210-02-103-0101- रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	21.00	1.00	20.00	0.00	95.24
60.		4210-03-050-0103- नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु	420.00	47.81	372.19	0.00	88.62
61.		4210-03-105-0112- ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल	310.00	140.00	170.00	0.00	54.84
62.		4210-03-105-0119- बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	70.00	30.00	40.00	0.00	57.14
63.	21- शिक्षा विभाग	2202-01-111-0201- सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	4,933.88	1,854.80	3,079.08	0.00	62.41
64.		2202-02-109-0207- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	784.95	54.00	730.95	0.00	93.12
65.		4202-01-202-0211- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	336.40	132.34	190.40	13.66	56.60
66.	22- गृह विभाग	2070-00-003-0008- होम गार्डों का प्रशिक्षण	10.00	4.42	5.58	0.00	55.80
67.		2070-00-107-0003- होम गार्ड से संबंधित कल्याण कार्यक्रम	10.00	3.79	6.17	0.04	61.70
68.		4070-00-052-0101- काराओं के संयंत्रों हेतु	12.00	2.91	9.09	0.00	75.75
69.	23- उद्योग विभाग	2852-80-789-0102- इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेंट योजना की स्थापना	90.70	23.08	67.62	0.00	74.55
70.	24- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-789-0101- क्षेत्रिय प्रचार योजना अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	14.42	1.40	12.97	0.05	89.94
71.	25- सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-202-0106- ज्ञान सिटी परियोजना	10.00	3.75	6.25	0.00	62.50
72.		3451-00-090-0027- सूचना तकनीकी विभाग	29.51	2.67	26.84	0.00	90.95
73.	26- श्रम संसाधन विभाग	2230-02-101-0214- राष्ट्रीय कैरियर सेवा	10.00	0.04	9.96	0.00	99.60
74.		2230-03-003-0333- कौशल विकास मिशन	10.54	3.26	7.28	0.00	69.07

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
75.		4250-00-050-0101- औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिए	55.00	3.76	51.24	0.00	93.16
76.	27- वित विभाग	2014-00-105-0008- त्वरित न्यायालय (वित आयोग की सिफारिश)	67.04	8.50	58.52	0.02	87.29
77.	29- खान एवं भूतत्व विभाग	2853-02-001-0001- खनन एवं भूतत्व स्थापना	43.13	20.44	22.43	0.26	52.01
78.	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-03-107-0106- अल्पसंख्यक छात्रों को बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था	21.00	4.39	16.61	0.00	79.10
79.		2250-00-003-0101- अल्पसंख्यक वर्ग को कामगारों का प्रशिक्षण	50.00	7.00	43.00	0.00	86.00
80.	33- सामान्य प्रशासन विभाग	2051-00-103-0001- बिहार कर्मचारी चयन आयोग	51.82	4.60	47.22	0.00	91.12
81.	35- योजना एवं विकास विभाग	2053-00-094-0109- योजना यंत्र को सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में	7.50	1.29	6.21	0.00	82.80
82.		2235-60-200-0117- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	572.50	183.21	389.27	0.02	67.99
83.		2235-60-200-0120- बिहार मंदिर चाहर दिवारी निर्माण निधि योजना 2015 (गृह विभाग हेतु)	30.00	9.99	20.01	0.00	66.70
84.		2235-60-789-0106- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	120.00	31.04	88.96	0.00	74.13
85.		2235-60-796-0102- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	7.50	1.94	5.56	0.00	74.13
86.		3454-02-205-0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना	14.74	4.71	9.89	0.14	67.10
87.		4070-00-051-0109- योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में।	10.00	1.33	8.67	0.00	86.70
88.		4401-00-051-0102- कृषि विभाग के भवन	87.62	22.26	65.27	0.09	74.49
89.		4515-00-101-0105- पंचायत सरकार भवनों का निर्माण – वित आयोग (पंचायती राज विभाग)	300.00	50.93	249.07	0.00	83.02
90.		4515-00-101-0501- पंचायती राज भवन (इ.ए.पी.)	150.00	20.13	129.87	0.00	86.58
91.	37- ग्रामीण कार्य विभाग	4515-00-103-0216- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०)	3,300.00	1,364.64	1,935.36	0.00	58.65

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
92.	39- आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-101-0005- आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद भुगतान	10.00	4.28	5.69	0.03	56.90
93.	42- ग्रामीण विकास विभाग	2505-02-101-0201- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	1,502.98	626.11	876.87	0.00	58.34
94.		4515-00-103-0102- प्रखंड लघु निर्माण कार्य	51.00	11.93	39.07	0.00	76.61
95.	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-112-0105- कौशल विकास मिशन	10.00	2.86	7.14	0.00	71.40
96.		4202-02-104-0109- पोलिटेक्नीक (निश्चय)	50.00	4.58	45.42	0.00	90.84
97.		4202-02-105-0106- अभियंत्रण महाविद्यालय भवन(निश्चय)	45.00	21.29	23.71	0.00	52.69
98.	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-277-0101- शिक्षा	16.50	6.38	10.12	0.00	61.33
99.		2225-02-102-0202- अनुसूचित जनजाति हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	18.00	0.86	17.10	0.04	95.00
100.		2225-02-197-0101- छात्रवृत्ति /वेतन	22.38	2.51	18.26	1.61	81.59
101.		2225-02-198-0101- छात्रवृत्ति /वेतन	67.17	16.36	50.27	0.54	74.84
102.		2225-02-277-0214- अनुसूचित जनजाति के छात्रों के शिक्षा हेतु छाता योजना	10.15	0.49	9.66	0.00	95.17
103.		2225-02-277-0101- शिक्षा	37.86	17.42	20.05	0.39	52.96
104.	45-गन्ना उद्योग विभाग	2852-08-201-0001- चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट 1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय	98.16	1.48	96.68	0.00	98.49
105.	47- परिवहन विभाग	5055-00-051-0101- जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण	8.00	2.60	5.40	0.00	67.50
106.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-01-789-0103- पेयजल पूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	28.00	6.25	21.75	0.00	77.68
107.	49- जल संसाधन विभाग	2700-80-190-0001- जल एवं भूमि प्रबंधन संरथान को सहायक अनुदान	15.70	0.00	12.20	3.50	77.71
108.		2705-00-001-0204- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	69.88	27.13	42.75	0.00	61.18
109.		4700-80-051-0206- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	155.88	34.89	120.99	0.00	77.62
110.		4700-80-051-0207- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	795.03	49.50	740.04	5.49	93.08

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष एवं विवरणी	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
111.		4711-01-051-0209- त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	600.00	126.68	324.51	148.81	54.09
112.	50- लघु जल संसाधन विभाग	2702-03-103-0104- निजी नलकूप	66.40	11.48	54.92	0.00	82.71
113.		2702-03-789-0101- निजी नलकूप	12.80	1.60	10.86	0.34	84.84
114.		4702-00-101-0101- लघु सिंचाई	96.68	25.58	71.09	0.01	73.53
115.		4702-00-102-0102- नई / अधुरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नबार्ड से ऋण	88.42	37.70	50.71	0.01	57.35
116.		2235-02-102-0224- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	129.01	27.43	101.58	0.00	78.74
117.	51- समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0324- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	96.42	20.73	75.61	0.08	78.42
118.		2235-02-103-0225- मातृत्व लाभ योजना	30.00	0.05	29.95	0.00	99.83
119.		2235-02-104-0107- मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	10.20	0.20	10.00	0.00	98.04
120.		2235-02-789-0312- किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	31.25	5.85	25.38	0.02	80.96
121.		2235-03-789-0205- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कायक्रम (एन.एस.ए.पी.)	463.14	176.16	286.98	0.00	61.96
122.		2235-03-796-0201- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कायक्रम (एन.एस.ए.पी.)	56.13	10.00	46.13	0.00	82.18
123.		2236-02-789-0204- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)	235.64	98.22	137.42	0.00	58.32
124.		4235-02-102-0208- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)	149.44	10.28	139.15	0.01	93.11
125.		4235-02-102-0308- एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.)	29.27	6.22	23.05	0.00	78.75
	योग		21,037.49	6,612.30	14,186.70	219.15	67.44

(लोत: वृहत विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.3.5; पृष्ठ 30)

निधियों का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ पाँच लाख से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	1- कृषि विभाग	2401-00-109-0319- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	6.64
2		2401-00-109-0419- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	12.34
3		2401-00-113-0217- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	11.65
4		2401-00-113-0317- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	7.76
5		2401-00-789-0245- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	2.24
6		2401-00-789-0343- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	1.28
7		2401-00-789-0345- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	1.50
8		2401-00-789-0443- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	2.38
9		2401-00-796-0267- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	0.14
10		2401-00-796-0365- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एम्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	0.08
11		2401-00-796-0367- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मशीनीकरण	0.09
12		2401-00-796-0465- नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	0.15
13		2402-00-796-0209- एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.32
14		2402-00-796-0309- एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0)	0.21
15	2- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-105-0102- सूअरों का विकास	0.10
16		2403-00-106-0212- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	2.91
17		2403-00-106-0213- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	8.42
18		2403-00-106-0312- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	1.89
19		2403-00-106-0313 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5.62
20		2403-00-789-0207 - राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	1.00
21		2403-00-789-0307- राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	0.66
22		2404-00-102-0201- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.06
23		2405-00-101-0319- नीली क्रांति—समेकित विकास एवं मत्स्य पालन प्रबंधन	0.48
24		3454-01-001-0405 – पशुधन गणना	20.65
25	3- भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0104- गृह विभाग (आरक्षी) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार	1.00
26		2059-01-053-0105- गृह विभाग (विशेष शाखा) के मुख्यालय का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार	1.00

परिशिष्ट

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
27		2059-01-053-0118 – वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.50
28		2059-60-053-0002- ग्रामीण अस्पतालों के भवनों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार	5.00
29		2059-80-103-0004 – निरीक्षण भवनों का साज सज्जा	0.31
30		4059-01-051-0107 – वित्त विभाग के भवन	5.00
31		4059-60-051-0017 – वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए0डी0आर0 केन्द्र की स्थापना (विधि विभाग)	5.39
32		4059-60-051-0101- सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण	0.50
33		4059-60-051-0124 – बिहार लोक प्रशासन तथा ग्रामीण विकास संगठन (बी0आई0पी0ए0आर0डी0)	40.00
34		4059-60-051-0319- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0) (पशु एवं मत्स्य विभाग के भवन हेतु)	4.38
35		4059-60-796-0302- कौशल विकास योजना	0.50
36		4059-80-051-0001- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.10
37		4059-80-051-0002- लघु कार्य	0.10
38		4059-80-051-0122- आई0 टी0 भवन	5.00
39		4225-80-051-0104 – महानुभाव के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय हेतु भवन निर्माण	42.00
40		4408-02-101-0102- खाद्यान भंडार गोदामों का निर्माण (नबार्ड सम्पोषित)	74.66
41	05- राज्यपाल	2012-03-103-0004- राज्यपाल का सज्जा-भत्ता	0.05
42	सचिवालय	2012-03-103-0005- विद्युत (उर्जा उपभोग)	0.05
43	8- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	2205-00-190-0001- बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.25
44	9- सहकारिता विभाग	2401-00-796-0364- प्रीमियम अनुदान के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	4.97
45		2425-00-001-0107- सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार	1.26
46		2425-00-108-0116- सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन	5.00
47		4425-00-051-0104- सहकार भवन	24.34
48		6425-00-107-0101- बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि सारव स्थिरीकरण निधि के लिए ऋण	91.15
49	10- उर्जा विभाग	2801-02-190-0001- बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिं0 (सम विकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)	10.00
50		2810-60-600-0002- बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी-सहायक अनुदान	10.09
51		2810-60-600-0101- अपरम्परागत उर्जा स्रोत	249.90
52		4801-05-190-0208- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0 राज्य घटक बी0एस0पी0टी0सी0एल0 के लिए) सी0एस0एस0	100.00
53	11- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0212- अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसुचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास हेतु	1.60
54		2225-03-277-0214- प्री मैट्रीक छात्रवृत्ति	12.50

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
55		2225-03-277-0312- अन्य पिछड़े वर्गों और अनाधिसुचित घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु जनजातियों के विकास हेतु	0.53
56		2225-03-277-0314- प्री मैट्रीक छात्रवृत्ति	11.00
57		4225-03-277-0202- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ०बी०सी०छात्रावास निर्माण हेतु)	4.50
58		4225-03-277-0302- आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओ०बी०सी०छात्रावास निर्माण हेतु)	1.50
59	12- वित्त विभाग	2070-00-800-0008- विविध एवं आकस्मिक खर्च	1.50
60		4058-00-103-0101- मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनीकरण की योजना	1.00
61		4058-00-103-0102- सरकारी प्रेस गया के आधुनीकरण की योजना	0.50
62	16- पंचायती राज विभाग	2515-00-003-0304- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	4.88
63		2515-00-198-0312- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	60.00
64	17- वाणिज्य-कर विभाग	2040-00-003-0001- बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय	0.10
65		2040-00-101-0002- भामासाह सम्मान योजना	0.10
66	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-001-0405- राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन (साहयता केन्द्र)	0.08
67		3456-00-102-0411- उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम	0.30
68		3456-00-102-0413- जन वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0.34
69	19- पर्यावरण एवं वन विभाग	2405-01-105-0104- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	2.92
70	20- स्वास्थ्य विभाग	2210-01-200-0112- राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (शहरी)	0.40
71		2210-03-200-0101- राष्ट्रीय एड्स तथा यौन संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण)	1.60
72		2211-00-004-0302- स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.22
73		2235-60-110-0204- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	226.00
74		2235-60-110-0304- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	150.67
75		4210-01-110-0110- इंदिरागांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	1.00
76		4210-01-110-0113- जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, एवं जीर्णोद्धार	1.00
77	22- गृह विभाग	2055-00-001-0006- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी)	0.10
78		2055-00-001-0007- स्वापक प्रत्य एवं मनः प्रभावी मादक पदार्थों	0.24
79		2055-00-003-0005- राज्य के बाहर विभिन्न प्रशिक्षण कोर्सों में भाग लेने हेतु	0.10
80		2055-00-109-0009- एस0आर0ई0 योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति वाहनों/हेली कॉपटरों/संचार संसाधन (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.70
81		2055-00-115-0303- पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्कीम	50.96
82		2070-00-108-0102- अग्निशमन उपकरण का क्रय	35.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
83	23- उद्योग विभाग	2851-00-107-0204- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1.11
84		2851-00-796-0106- रेशम का विकास	0.50
85		4851-00-190-0102- भेनचर कैपिटल में निवेश	75.00
86		4851-00-190-0103- बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिंग (कॉम्फेड)	20.00
87	24- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	2220-60-103-0002- बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान कोष	0.07
88		2220-60-106-0106- बिहार संवाद समिति	5.00
89		2235-60-200-0115- पत्रकार पेंशन योजना	0.30
90	25- सूचना प्रावैधिकी विभाग	2230-03-001-0101- कौशल विकास मिशन	20.00
91		2852-07-202-0015- आउटसोर्स सेवाओं के मद में भुगतान	90.00
92		2852-07-202-0110- ई-डिस्ट्रीक योजना	3.00
93	26- श्रम संसाधन विभाग	2230-02-101-0112- सीमापार श्रमिक एवं अन्य मानव बल के नियोजन हेतु व्यूरो।	2.00
94		2230-02-101-0113- निःशक्त जनों के लिए नियोजन साहयता	0.50
95		2230-02-101-0314- नेशनल कैरियर सर्विस	6.67
96	27- विधि विभाग	2014-00-105-0007- अतिरिक्त न्यायाल (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.00
97		2014-00-105-0009- सिविल एवं सत्र न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	17.00
98		2014-00-114-0005- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउसिंल/एसोसिएशन को अनुदान	0.10
99		2014-00-114-0105- बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउसिंल/एसोसिएशन को अनुदान	0.50
100		2014-00-117-0002- परिवार न्यायालय (वित्त आयोग की अनुशंसा)	2.30
101		2250-00-101-0002- बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को अनुदान हेतु	1.00
102	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2202-02-107-0210- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	1.20
103		2250-00-101-0101- मुस्लिम परिव्यक्ता को साहयता के रूप में राशि उपलब्ध कराने हेतु	22.00
104		2250-00-800-0107- वक्फ सम्पत्ति के रख-रखाब सुरक्षा तथा संवर्धन हेतु	20.20
105		2250-00-800-0108- वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवौल्विंग फंड के रूप में अनुदान देने के संबंध में	76.00
106		7465-00-190-0101- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना	40.00
107	32- विधानमंडल	2011-02-101-0002- अध्यक्ष के द्वारा वैवेकिक अनुदान	0.05
108	33- सामान्य प्रशासन विभाग	2052-00-090-0005- सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग)	2.24
109		2052-00-090-0041- अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग	2.12
110		2052-00-090-0052- उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग	2.40
111		2070-00-003-0006- बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)	5.53

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
112	35- योजना एवं विकास विभाग	2052-00-090-0103- योजनातंत्र का सुदृढ़ीकरण	2.50
113		2059-01-053-0024- मेला, हार, बाजार, कचहरी भवन का संधारण	1.00
114		2235-01-202-0505- कोशी बाढ़ आपदा, पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	346.96
115		2235-01-789-0501- कोशी बाढ़ आपदा पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	98.74
116		2235-01-796-0501- कोशी बाढ़ आपदा पुर्नवास परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	7.24
117		3451-00-101-0101- बिहार राज्य योजना बोर्ड	2.00
118		3454-02-204-0409- फसल सांखियकी के सुधार के निमित योजना	0.11
119		3475-00-004-0101- मुख्यमंत्री नव परार्वतन प्रोत्साहन	1.00
120		4401-00-789-0104- कृषि विभाग के लिए भवन	16.89
121		4401-00-796-0102- कृषि विभाग के लिए भवन	1.06
122		4515-00-102-0303- एल डब्लूई जिलों के लिए एसीए	60.00
123	36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0125- जलगुणवत्ता की मोनेटरिंग एंव प्रयोगशाला का उन्नयन	0.10
124	38- निर्बंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2030-02-101-0002- प्रतिभूति मुद्रणालय हैदराबाद से मिलने वाले स्टाम्पों की लागत	1.00
125		2039-00-001-0007- उत्पाद दुकानों की बंदी के लिए मुआवजा	0.20
126	39- आपदा प्रबंधन विभाग	2235-01-200-0004- कटाव से विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए साहयता अनुदान	5.00
127		2245-01-101-0003- संतप्त परिवारों को अनुग्रह का भुगतान	0.10
128		2245-01-105-0001- पशुओं के लिए दवा	0.10
129		2245-02-101-0014- शीतलहर एवं पाला से बचाव हेतु नगद अनुदान	0.10
130		2245-02-101-0015- राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान	0.10
131		2245-02-112-0104- संचार उपकरणों का क्रय	2.50
132		2245-02-800-0007- गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायता सामग्री के परिवहन पर होने वाले व्यय	0.39
133		2245-06-101-0003- खाद्यान की आपूर्ति	0.05
134		2245-06-101-0004- भूकम्प प्रभावितों को कपड़ा तथा बर्तन का मुफ्त वितरण	0.05
135		2245-06-113-0001- भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति पुनर्स्थापन	0.05
136		2245-80-102-0006- प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन	0.05
137		2245-80-800-0003- बिहार कृषि संकटग्रस्त किसान साहयता योजना	0.15
138		4250-00-051-0104- गोदाम	0.40
139	40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	4047-00-050-0104- सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	0.50
140	41- पथ निर्माण विभाग	5054-03-337-0211- विशेष साहयता (बी0आर0जी0 पथ)	303.53

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
141	42- ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0104- इंदिरा आवास योजना का निगरानी एवं तकनीकी सहयोग	4.00
142		2216-03-105-0106- मुख्यमंत्री शताब्दि इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00
143		2216-03-789-0103- मुख्यमंत्री इंदिरा आवास उन्नयन	92.00
144		2515-00-003-0101- बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	3.20
145		4515-00-102-0502- बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संस्थान (ई0ए0पी0)	2.00
146	43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	2203-00-112-0303- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	0.67
147		4202-02-105-0207- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	2.18
148		4202-02-105-0307- तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम	1.50
149	44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-102-0101- परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	0.50
150		2225-01-102-0316- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0जी0आई0)	0.05
151		2225-01-277-0008- पुस्तक अधिकोष की स्थापना	0.16
152		2225-01-277-0219- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	60.00
153		2225-01-277-0222- सी0एस0एस0	49.10
154		4425-00-108-0164- बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	4.00
155		2215-01-796-0102- पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	1.00
156	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2215-01-796-0103- पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	2.00
157		2217-01-191-0218- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	68.90
158		2217-01-191-0220- स्वच्छ भारत मिशन	70.00
159		2217-01-191-0318- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	34.10
160		2217-03-191-0209- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	160.00
161		2217-03-191-0211- सभी के लिए आवास योजना (शहरी)	30.00
162		2217-03-193-0311- शहरी पुनर्नवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (ए0एम0आर0यू0टी0)	10.04
163		2217-05-001-0103- क्षमता वर्धन कार्यक्रम	0.50
164		3475-00-108-0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	112.05
165		3475-00-108-0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	74.70
166		3475-00-789-0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	21.60
167		3475-00-789-0302- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	14.40
168		3475-00-796-0202- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	1.35

क्रम सं०	अनुदान संख्या तथा नाम	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	प्रत्यर्पित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
169	50- लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-016-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.83
170		2702-02-789-0101- बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.16
171		2702-02-789-0102- सर्वेक्षण और जाँच	1.60
172		2702-02-796-0102- सर्वेक्षण और जाँच	0.10
173		2702-03-796-0101- निजी नलकूप	0.80
174		4702-00-789-0103- नलकूप के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबाड़ से ऋण	1.60
175		4702-00-789-0104- नई / अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबाड़ से ऋण	17.04
176		4702-00-789-0205- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	6.84
177		4702-00-789-0305- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	4.56
178		4702-00-796-0104- नलकूप के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबाड़ से ऋण	0.10
179		4702-00-796-0105- नई / अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबाड़ से ऋण	1.06
180		4702-00-796-0206- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	0.43
181		4702-00-796-0306- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0)	0.29
182	51- समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0111- विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.10
183		2235-02-103-0219- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	51.53
184		2235-02-103-0220- मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	10.00
185		2235-02-103-0319- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	25.77
186		2235-02-789-0313- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	8.59
187		2235-60-200-0119- मुख्यमंत्री तेजाब फ़िडिट सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2.01
188		2245-02-282-0005- कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति (समाज कल्याण विभाग के लिए)	0.10
189		4235-02-102-0106- पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.10
कुल			3,591.68

(स्रोत: अनुदान लेखापरीक्षा पंजी, 2017-18)

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 32)

प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक एवं 10 प्रतिशत से ज्यादा अभ्यर्पित नहीं किए गए बचत

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोजन संख्या एवं नाम	मुख्य शीर्ष	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत (कालम 6/ कालम 4 *100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03- भवन निर्माण	2059	107.05	28.53	78.52	73.35
2	04- मंत्रिमंडल सचिवालय	2013	2.67	0.38	2.29	85.77
3	05- राज्यपाल सचिवालय	2012	5.94	0.21	5.73	96.46
4	10- ऊर्जा	6801	103.24	0.00	103.24	100.00
5	12- वित्त	2054	84.83	44.94	39.89	47.02
6	14- ऋण की अदायगी	6004	138.49	0.00	138.49	100.00
7	15- पेंशन	2071	5,577.79	1.66	5,576.13	99.97
8	18- खाद्य तथा उपभोक्ता संरक्षण	3456	1,090.28	555.32	534.96	49.07
9	20- स्वास्थ्य	2211	316.68	23.25	293.43	92.66
10	21- शिक्षा	2202	7,700.44	4,562.48	3,137.96	40.75
11		2204	2.50	0.00	2.50	100.00
12		2205	1.82	0.00	1.82	100.00
13		4202	448.65	190.40	258.25	57.56
14	22- गृह	2245	5.00	0.00	5.00	100.00
15		4055	81.73	0.20	81.53	99.76
16	35- योजना तथा विकास	2053	39.80	28.45	11.35	28.52
17	39- आपदा प्रबंधन	2245	1,363.57	665.65	697.92	51.18
18	40- राजस्व एवं भूमि सुधार	4047	25.56	10.37	15.19	59.43
19	41- पथ निर्माण	3054	450.58	253.48	197.10	43.74
20	42- ग्रामीण विकास	2216	4,920.46	3,468.99	1,451.47	29.50
21	48- नगर विकास एवं आवास विभाग	2015	29.57	19.68	9.89	33.45
22	49- जल संशाधन	4700	1,280.36	997.91	282.45	22.06
23		4711	678.02	397.41	280.61	41.39
योग			24,455.03	11,249.11	13,205.72	54.00

(ओत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: कंडिका 2.3.7; पृष्ठ 32)

**वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 10 करोड़ तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत
से अधिक के निधियों के अभ्यर्पण**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401- फसल की पैदावार	2,961.34	935.43	31.59
2		2402- मृदा तथा जल संरक्षण	90.77	21.66	23.86
3		6401- फसल कृषि कर्म पर ऋण	178.05	177.93	99.93
4	2	2403- पशुपालन	457.29	69.22	15.14
5		2404- डेयरी विकास	132.31	13.88	10.49
6		2405- मत्स्य पालन	123.71	36.56	29.55
7		3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	139.06	20.69	14.88
8	3	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	3,030.88	425.12	14.03
9		4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	489.64	274.08	55.98
10	4	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	896.09	143.71	16.04
11		5053- नागरिक उड़ययन पर पूँजीगत परिव्यय	36.79	10.53	28.62
12	8	2205- कला एवं संस्कृति	78.71	13.17	16.73
13	11	4225- अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर पूँजीगत परिव्यय	166.59	27.64	16.59
14	12	2054- कोषागार तथा लेखा प्रशासन	158.86	44.94	28.29
15		2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	25.88	10.07	38.91
16		7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	31.00	11.36	36.65
17	17	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	131.09	86.85	66.25
18		2043- राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह शुल्क	132.06	60.03	45.46
19	18	2408- खाद्य संग्रह तथा गोदाम	735.17	116.86	15.90
20	19	2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	330.54	44.15	13.36
21	22	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	896.09	178.35	19.90
22	23	2852- उद्योग	1,041.79	128.85	12.37
23		4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	109.00	20.53	18.83
24	24	2220- सूचना तथा विस्तार	202.78	35.85	17.68
25	25	2852- उद्योग	1,041.79	151.68	14.56
26	26	2230- श्रम तथा रोजगार	463.84	96.96	20.90
27		4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	258.50	51.24	19.82
28	27	2014- न्याय प्रशासन	860.24	200.79	23.34

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
29	28	2014- न्याय प्रशासन	178.51	27.66	15.49
30	29	2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	43.13	22.43	52.01
31	32	2011- संसद /राज्य/ संघ/ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	179.78	20.81	11.58
32	33	2051- लोक सेवा आयोग	76.72	48.48	63.19
		2053- जिला प्रशासन	562.16	92.80	16.51
34	35	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	138.95	33.26	23.94
35	37	4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	10,261.87	2,846.58	27.74
36	38	2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण	77.14	23.06	29.89
		2039- राज्य उत्पाद	142.02	59.31	41.76
38	39	2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	5,149.10	642.16	12.47
39	40	2029- भू-राजस्व	810.09	294.72	36.38
40	41	3054- सङ्क तथा सेतु	2,016.31	253.48	12.57
41	42	2215- जलापूर्ति तथा सफाई	1,911.44	444.29	23.24
42		2216- आवास	5,942.09	3,468.99	58.38
43		2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	740.67	360.34	48.65
44		2505- ग्राम रोजगार	2,010.15	879.24	43.74
45	43	2203- तकनीकी शिक्षा	176.81	20.69	11.70
46	44	2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,898.88	417.69	14.41
47	46	3452- पर्यटन	90.87	21.18	23.31
48	47	2041- वाहन पर कर	74.72	11.83	15.83
49	48	2015- निर्वाचन	159.76	19.68	12.32
50		2217- शहरी विकास	4,291.30	947.50	22.08
51	50	2702- लघु सिंचाई	392.80	99.13	25.24
52		4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	304.30	174.49	57.34
योग			53,829.43	14,637.93	27.19

(झोत: कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.11

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8; पृष्ठ 32)

माह मार्च 2018 में संधन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान कुल व्यय	माह जनवरी से मार्च 2018 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2018 में हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशतता	
					जनवरी - मार्च 2018	मार्च 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	3- भवन निर्माण विभाग	2,602.46	1,826.11	1,490.67	70.17	57.28
2	4- मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	269.25	209.45	173.98	77.79	64.62
3	5- राज्यपाल का सचिवालय विभाग	14.14	11.12	11.12	78.64	78.64
4	7- निगरानी विभाग	32.58	24.56	24.56	75.38	75.38
5	9- सहकारिता विभाग	943.03	598.73	520.80	63.49	55.23
6	10- ऊर्जा विभाग	11,530.30	8,188.73	7,696.73	71.02	66.75
7	11- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,225.06	1,209.84	1,153.30	98.76	94.14
8	18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,212.49	1,169.55	1,160.02	96.46	95.67
9	24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	132.24	120.08	113.90	90.80	86.13
10	25- सूचना तकनीक विभाग	200.92	103.55	101.97	51.54	50.75
11	28- बिहार का उच्च न्यायालय	150.70	114.91	114.73	76.25	76.13
12	30- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	329.95	218.38	211.85	66.19	64.21
13	31- संसदीय कार्य विभाग	1.90	1.39	1.39	73.16	73.16
14	32- विधानमंडल	154.25	119.55	119.55	77.50	77.50
15	34- बिहार लोक सेवा आयोग	21.03	16.68	16.68	79.32	79.32
16	42- ग्रामीण विकास विभाग	5,215.12	4,688.90	4,637.15	89.91	88.92
17	44- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों कल्याण विभाग	1,016.24	931.39	891.15	91.65	87.69
18	46- पर्यटन विभाग	145.04	111.74	109.51	77.04	75.50
योग		25,196.70	19,664.66	18,549.06	78.04	73.62

(स्रोत: वित्त लेखा, 2017-18)

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.4; पृष्ठ 33)

नित्य प्रयोजन व्यय के लिये आकस्मिकता निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष की विवरणी	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2011	संसद / राज्य / संघ शासित क्षेत्र विधान मंडल	पटना विधान सभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सहयोग सम्मेलन आयोजन हेतु	1.40
2			सचिवालय के अधिकारी के वाहन क्रय हेतु	0.94
3	2014	न्याय प्रशासन	फास्ट ट्रैक कोर्ट के 68 अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के भुगतान हेतु	7.04
4			महाप्रशासक और शासकान्यासी के सातवें वेतन आयोग के कारण वेतन में वृद्धि	0.03
5			बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में माननीय न्यायाधीशों के वाहन हेतु	0.15
6			उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 40 वाहनों के प्रायोजन हेतु	9.09
7			परिवहन विभाग के कर्मचारियों को अक्टूबर माह के लंबित वेतन भूगतान के लिए	0.99
8	2051	लोक सेवा आयोग	आयोग के सूचारू कार्य के लिए निधि की कमी हेतु निधि	0.34
9	2052	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ	संसदीय मामलों के प्रमुख सचिव के लिए वाहन खरीदने हेतु	0.13
10			संशोधित पाठ्यक्रम पर विभागीय परीक्षा द्वारा परीक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि के भुगतान हेतु	0.08
11			राजस्व पार्षद, पटना के वाहन खरीदने के लिए	0.26
12			आयुक्त कार्यालय में कर्मचारियों पर सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु	0.25
13			बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक ड्राइवर के लिए	0.01
14	2053	जिला प्रशासन	3 वाहनों के क्रय हेतु	0.29
15	2055	पुलिस	कांस्टेबल (पुलिस) की भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण और परीक्षा हेतु	9.00
16	2056	जेल	बी.आई.सी.ए. हाजीपुर की कार्यात्मक आवश्यकता हेतु	0.37
17	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	सतर्कता विभाग के लिए वाहनों की खरीद हेतु	0.33
18			नई दिल्ली में उनकी अपनी यात्रा के दौरान बिहार के राज्यपाल द्वारा उपयोग के लिए बी.एम.डब्लू XI (पेट्रोल) क्रय हेतु	0.42
19			माननीय अध्यक्ष और लोकायुक्त सदस्यों के लिए गाड़ी क्रय हेतु प्रति सदस्य ₹ 16 लाख	0.32
20			विशेष सकर्तता इकाई के 3 आरक्षी उपाधिकार 6 पुलिस निरीक्षक एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु	0.59
21			जाँच शाखा लोकायुक्त संरथान हेतु 2 वाहनों की खरीद हेतु	0.18

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष की विवरणी	उद्देश्य	राशि
22	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	इन्द्रिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिकल कॉलेज एवं नार्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु	1,15.00
23	2230	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा नियंत्रित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में परीक्षा संबंधित व्यय हेतु	0.95
24			अनुबंध पर बहाल 17 सेवानिवृत अधिकारी के भुगतान हेतु	0.40
25	2251	सचिवालय—सामाजिक सेवा	सचिवालय में प्रतिष्ठान में संविदा के आधार पर 8 रिटायर्ड कर्मचारियों के भुगतान हेतु	0.14
26			राज्य सूचना आयोग के लिए 2 वाहनों की खरीद हेतु	0.19
27	2851	गाँव और छोटे उद्योग	भवन, कार किराए और निजी सफाई एजेंसियों के भुगतान हेतु	0.94
28	2852	उद्योग	निलंबित गन्ना अधिकारी के बेटे के इलाज के लिए	0.11
29	3451	सचिवालय—आर्थिक सेवाएं	माननीय कृषि मंत्री के कार क्य हेतु	0.16
30			गन्ना उद्योगों मंत्री के लिए टाटा सफारी स्टोरम कार क्य हेतु	0.16
31			मंत्री के लिए वाहन क्य हेतु	0.16
32	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	निर्माणाधीन पुलिस भवन के लिए आग बुझाने के उपकरण क्य हेतु	30.00
33	4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	डॉ० ए०पी०जे० अबदुल कलाम विज्ञान शहर के नींव के लिए	94.95
34	4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	शिवहर स्थित सहोरा अस्ताल के निर्माण कार्य हेतु	19.12
35	4853	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	बिहार राज्य खनन लिमिटेड के खनन एवं भूगर्भ विभाग के लिए प्रदत्त पूँजी	20.00
योग				314.49

(लोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा० एवं हक०) विहार से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 35)

राशियों का अनावश्यक अवरुद्धिकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए० सी० विपत्र की तिथि	ए० सी० विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2015	जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सुपौल	30.10.15	19.43	29.03.17	4.98	17
2	2029	नजारत उप समाहार्ता, कटिहार (उप प्रभागीय न्यायाधीश)	31.03.07	5.00	17.02.17	0.67	117
3	2053	जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा	26.09.13	200.00	06.10.16	1.37	36
4	2053	जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा	04.09.13	250.00	10.04.17	13.63	43
5	2053	जिला योजना पदाधिकारी, सहरसा	26.09.13	200.00	24.07.17	1.12	46
6	2210	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना	31.03.08	21.23	09.09.15	2.44	89
7	2210	अधीक्षक, डी०एम०सी०एच०, लहेरियासराय	29.01.10	237.98	20.12.16	17.52	82
8	2210	अधीक्षक, डी०एम०सी०एच०, लहेरियासराय	31.03.07	516.91	24.01.17	41.58	117
9	2216	जिला विकास आयुक्त, वैशाली	25.01.12	22.49	31.10.16	14.09	56
10	2225	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरौल (मुजफ्फरपुर)	27.03.10	10.00	22.02.16	2.36	71
					31.08.16	0.58	77
11	2225	जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर	11.01.13	141.84	13.04.16	90.17	39
12	2230	डी० एम० सामाजिक सुरक्षा, जमुई	28.03.08	61.60	27.09.16	22.56	102
13	2230	डी० एम० सामाजिक सुरक्षा, जमुई	24.11.06	203.20	31.05.17	6.60	124
14	2235	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, छपरा (सारण)	27.05.10	241.14	18.08.17	0.87	86
15	2245	अंचल पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार)	27.09.13	300.00	15.09.16	12.75	35
16	2245	अंचल पदाधिकारी, बारसोई (कटिहार)	11.09.13	150.00	17.01.15	1.33	16
17	2250	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीतामढी	09.03.10	300.00	11.11.16	1.95	80
18	2250	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया	27.05.11	654.11	23.11.16	119.69	65
19	2250	जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद (बिहार)	28.03.11	56.20	07.06.17	0.90	74
20	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, गया	08.03.11	80.49	06.10.16	4.75	67
21	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा	24.09.13	17.53	14.09.16	10.38	35

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए० सी० विपत्र की तिथि	ए० सी० विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	2401	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पंडारक (पटना)	11.10.10	7.68	15.09.16	0.72	71
23	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, छपरा (सारण)	29.03.13	10.00	10.06.16	3.02	38
24	2401	संयुक्त निदेशक (शसया), पूर्णिया	17.02.14	18.69	22.02.16	0.49	24
25	2401	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिवसागर (रोहतास)	31.10.09	8.51	11.08.16	0.79	82
26	2401	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमनौर (सारण)	23.12.10	6.23	12.06.12	3.17	17
27	2401	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा (पटना)	07.02.11	37.80	15.03.14	18.45	37
28	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, दरभंगा	16.02.16	115.90	24.05.17	86.33	15
29	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, पटना	11.02.15	39.93	01.09.16	37.40	18
30	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, छपरा	12.02.16	156.00	21.12.16	146.78	10
					23.03.17	0.68	13
31	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, गोपालगंज	08.02.16	68.29	03.12.16	65.48	10
					21.03.17	0.46	13
32	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, कटिहार	11.02.16	182.47	30.05.17	16.07	15
33	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, मधेपुरा	19.02.16	61.49	20.03.17	53.73	13
34	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, पूर्णिया	18.02.16	40.68	29.05.17	4.04	15
35	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, पूर्णिया	08.02.16	73.22	29.05.17	1.27	15
36	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जहानाबाद	23.02.16	5.03	17.07.17	4.74	17
37	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बांका	23.02.16	58.99	24.05.17	9.90	15
38	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, जहानाबाद	17.02.16	20.34	21.07.17	18.98	17
39	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, मधेपुरा	19.02.16	32.54	24.05.17	24.41	15

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए० सी० विपत्र की तिथि	ए० सी० विपत्र पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्ययित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	2515	उप विकास आयुक्त, जिला परिषद् भभुआ (कैमूर)	31.03.10	39.24	19.11.16	12.04	80
41	2515	उप विकास आयुक्त, किशनगंज	30.03.09	8.34	20.07.17	0.26	100
42	2852	सहायक निदेशक (उद्योग, लेखे) पटना	10.03.16	19.60	15.06.17	11.37	15
43	3454	उप समाहार्ता नजारत, शेखपुरा	28.03.12	25.69	30.03.15	15.90	36
44	3454	जिला सांचियकी पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	31.03.08	0.80	03.08.10	0.41	28
					09.07.14	0.11	75
45	4047	अंचल पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी झंझारपुर	26.03.12	10.00	25.02.16	1.59	47
46	4047	अंचल पदाधिकारी, निमचक बथानी, गया	28.09.11	10.00	18.05.17	1.00	68
47	4210	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह-सिविल सर्जन, पूर्णिया	31.03.06	34.11	06.07.15	0.85	112
48	4210	अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पटना	31.03.15	50.98	23.03.17	14.12	24
49	4210	प्राचार्य, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	31.03.06	50.00	31.03.13	18.76	84
50	4225	जिला विकास इकाई, नवादा	17.03.10	77.00	30.03.17	5.34	84
51	4225	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	23.07.06	20.00	06.09.16	0.95	122
52	4250	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण बेतिया	13.06.14	188.35	03.09.16	48.30	27
53	4250	जिला पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण बेतिया	01.02.14	146.64	03.09.16	3.58	31
54	5054	जिला योजना पदाधिकारी, अरवल	19.03.12	73.00	06.03.17	4.59	60
योग				5,386.69		1,008.37	

परिशिष्ट-2.14

(संदर्भ: कंडिका 2.5; पृष्ठ 35)
शत्-प्रतिशत प्रेषण की राशि का व्यौरा

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए०सी० बिल की तिथि	ए०सी० बिल पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्याख्यित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2210	उप जिला समाहार्ता नजारत कार्यालय, सिवान	31.03.03	18.34	05.01.16	18.34	153
2	2210	उप समाहार्ता नजारत, छपरा (सारण)	31.03.07	22.50	23.02.17	22.50	118
3	2216	उप विकास आयुक्त, वैशाली (हाजीपुर)	25.01.12	4.34	31.10.16	4.34	57
4	2217	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् हाजीपुर	30.03.10	1.60	14.07.17	1.60	87
5	2225	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, श्रीनगर (पूर्णिया)	30.03.15	1.00	15.10.16	1.00	18
6	2225	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कसबा (कटिहार)	13.03.15	0.45	20.10.16	0.45	19
7	2225	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्णिया (पूर्वी)	26.03.15	1.00	18.10.16	1.00	18
8	2401	जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया	19.03.15	1.15	10.11.16	1.15	19
9	2401	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, हाजीपुर	31.03.16	3.69	08.03.17	3.69	11
10	2401	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, हाजीपुर	30.03.16	2.00	08.03.17	2.00	11
11	2401	सहायक निदेशक, गन्ना विकास, समस्तीपुर	18.09.13	12.00	08.02.17	12.00	40
12	2401	सहायक निदेशक, गन्ना विकास, समस्तीपुर	18.09.13	0.75	08.02.17	0.75	40
13	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, मधेपुरा	19.02.16	4.07	20.03.17	4.07	12
14	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बक्सर	19.02.16	27.98	04.05.17	27.98	14
15	2405	जिला मत्स्य पदाधिकारी—सह—मुख्य कार्यकारी, अरवल	12.02.16	12.20 9.79	02.05.17	12.20 9.79	15
16	2506	अंचल पदाधिकारी, अरेराज (पूर्वी चम्पारण)	31.03.14	2.77	20.09.17	2.77	40

क्रम सं०	शीर्ष	कार्यालय का नाम	ए०सी० बिल की तिथि	ए०सी० बिल पर आहरित राशि	प्रेषण की तिथि	कोषागार को प्रेषित अव्याख्यित राशि	प्रेषण में विलम्ब (महीनों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	2515	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इस्वापुर, (सारण)	07.02.03	0.22	15.02.17	0.22	168
18	2515	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इस्वापुर, (सारण)	31.03.03	0.11	15.02.17	0.11	166
19	2851	सहायक निदेशक, उद्योग, सिल्क, भागलपुर	10.11.15	3.53	20.03.17	3.53	16
				2.88		2.88	
				0.50		0.50	
20	2852	सहायक निदेशक, (उद्योग, लेखे), पटना	28.03.16	6.50	18.05.17	6.50	13
21	3456	उप समाहार्ता जिला नजारत, बेगुसराय	31.03.12	1.00	16.12.16	1.00	56
22	4047	अंचल पदाधिकारी, हायाघाट, दरभंगा	31.03.13	2.00	16.01.16	2.00	33
23	4250	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी	22.01.14	350.82	07.10.16	350.82	32
योग				493.19		493.19	

परिशिष्ट-2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.6; पृष्ठ 35)

वर्ष 2017–18 के दौरान (प्रत्येक मासमें में) की असमाशोधित राशि की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
1	0006- राज्य माल एंव सेवा कर	6,746.96	2,363.01	35.02
2	0028- आय और व्यय पर अन्य कर	86.52	86.52	100.00
3	0029- भू-राजस्व	778.65	776.02	99.66
4	0030- स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क	3,725.66	3,725.35	99.99
5	0040- बिक्री व्यापार आदि पर कर	8,298.10	8,298.10	100.00
6	0042- माल एवं यात्री पर कर	1,644.85	1,644.85	100.00
7	0043- उर्जा पर कर एवं शुल्क	239.16	239.16	100.00
8	0044- सेवा कर	7,379.29	0.19	100.00
9	0050- लाभांश और मुनाफा	1.34	1.34	100.00
10	0051- लोक सेवा आयोग	130.11	130.11	100.00
11	0055- पुलिस	86.04	86.04	100.00
12	0056- जेल	15.94	15.94	100.00
13	0058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	0.12	0.12	100.00
14	0059- लोक निर्माण कार्य	9.83	9.83	100.00
15	0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	25.84	25.84	100.00
16	0071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूलियाँ	202.53	2.53	1.25
17	0075- विविध सामान्य सेवाएं	3.45	3.45	100.00
18	0202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	21.47	21.47	100.00
19	0210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	54.53	54.53	100.00
20	0211- परिवार कल्याण	0.02	0.02	100.00
21	0215- जलापूर्ति तथा सफाई	16.63	16.63	100.00
22	0216- आवास	6.57	6.57	100.00
23	0217- शहरी विकास	7.43	7.43	100.00
24	0220- सूचना और प्रचार	0.40	0.40	100.00
25	0230- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	16.79	16.79	100.00
26	0235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.17	0.17	100.00
27	0250- अन्य सामाजिक सेवाएं	0.05	0.05	100.00
28	0401- फसल कृषि कर्म	11.93	11.93	100.00
29	0403- पशुपालन	0.76	0.76	100.00
30	0404- डेयरी विकास	0.01	0.01	100.00

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
31	0405- मत्स्य पालन	12.02	12.02	100.00
32	0406- वानिकी एवं वन्य प्राणी	29.41	29.41	100.00
33	0425- सहकारिता	8.62	8.62	100.00
34	0506- भूमि सुधार	0.22	0.22	100.00
35	0515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	48.61	48.61	100.00
36	0700- मुख्य सिंचाई	22.22	22.22	100.00
37	0701- मध्यम सिंचाई	17.27	17.27	100.00
38	0702- लघु सिंचाई	5.21	5.21	100.00
39	0851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग	0.06	0.06	100.00
40	0852- उद्योग	0.12	0.12	100.00
41	0853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1,082.67	1,082.67	100.00
42	1053- नगर विमानन	4.12	4.12	100.00
43	1054- सड़क एवं सेतु	66.74	66.74	100.00
44	1055- पथ परिवहन	0.17	0.17	100.00
45	1452- पर्यटन	1.62	1.62	100.00
46	1456- सिविल आपूर्ति	0.05	0.05	100.00
47	1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	18.40	18.40	100.00
48	1601- केन्द्रीय सहायता अनुदान	25,720.13	46.88	0.18
योग		56,548.81	18,909.57	33.44
असमाशोधित व्यय				
1	2011- संसद /राज्य/ संघ क्षेत्र विधानमंडल	154.11	154.11	100.00
2	2012- राष्ट्रपति /उप-राष्ट्रपति /राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	14.13	14.13	100.00
3	2013- मंत्रिपरिषद्	20.71	20.71	100.00
4	2014- न्याय प्रशासन	805.05	804.83	99.97
5	2015- निर्वाचन	99.37	99.37	100.00
6	2029- भू-राजस्व	510.02	510.02	100.00
7	2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण	53.85	53.85	100.00
8	2039- राज्य उत्पाद शुल्क	82.44	82.44	100.00
9	2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	72.30	72.30	100.00
10	2041- वाहन कर	61.62	61.62	100.00
11	2043- राज्य माल और सेवा कर के तहत संग्रह	71.95	71.95	100.00
12	2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	1.09	1.09	100.00
13	2047- अन्य राजकोषीय सेवाएँ	2.66	2.66	100.00
14	2048- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	693.62	0.01	0.00
15	2049- व्याज अदायगियाँ	9,053.78	443.48	4.90

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
16	2051- लोक सेवा आयोग	3.92	3.92	100.00
17	2052- सचिवालय –सामान्य सेवाएँ	217.43	116.12	53.41
18	2053- जिला प्रशासन	421.56	421.56	100.00
19	2054- कोषागार तथा लेखा प्रशासन	74.01	74.01	100.00
20	2055- पुलिस	5,736.99	5,736.99	100.00
21	2056- जेल	298.25	298.25	100.00
22	2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	15.73	15.73	100.00
23	2059- लोक निर्माण कार्य	493.64	493.64	100.00
24	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	484.97	484.97	100.00
25	2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	14,293.48	14,293.48	100.00
26	2202- सामान्य शिक्षा	23,068.69	23,068.69	100.00
27	2203- तकनीकी शिक्षा	155.17	155.17	100.00
28	2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	52.18	52.18	100.00
29	2205- कला एवं संस्कृति	38.56	38.56	100.00
30	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	5,064.18	5,064.18	100.00
31	2211- परिवार कल्याण	552.40	552.40	100.00
32	2215- जलाधार्पण एवं स्वच्छता	2,338.36	2,338.36	100.00
33	2216- आवास	944.45	944.45	100.00
34	2217- शहरी विकास	2,393.47	2,393.47	100.00
35	2220- सूचना तथा प्रचार	130.82	130.82	100.00
36	2225- अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जन/जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	950.60	950.60	100.00
37	2230- श्रम एवं रोजगार	320.40	320.40	100.00
38	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5,013.15	5,013.15	100.00
39	2236- पोषण	1,203.11	1,203.11	100.00
40	2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	3,468.96	3,428.49	98.83
41	2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	7.76	7.57	97.55
42	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	67.22	59.73	88.86
43	2401- फसल कृषि कर्म	1,570.63	1,570.63	100.00
44	2402- मृदा तथा जल संरक्षण	68.68	68.68	100.00
45	2403- पशुपालन	382.64	382.64	100.00
46	2404- डेयरी विकास	107.95	107.95	100.00
47	2405- मत्स्य पालन	47.88	47.88	100.00
48	2406- वानिकी एवं बन्धु प्राणी	253.35	253.35	100.00
49	2408- खाद्य भंडारण तथा भांडागार	598.93	598.93	100.00
50	2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	340.12	340.12	100.00

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
51	2425- सहकारिता	241.26	130.81	54.22
52	2435- अन्य कृषि कार्यक्रम	14.16	14.16	100.00
53	2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	743.48	743.48	100.00
54	2505- ग्रामीण रोजगार	1,078.53	1,078.53	100.00
55	2506- भूमि सुधार (1)	2.65	2.65	100.00
56	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,387.57	9,387.57	100.00
57	2700- मुख्य सिंचाई	500.83	500.83	100.00
58	2702- लघु सिंचाई	291.27	291.27	100.00
59	2705- कमान क्षेत्र विकास	121.62	121.62	100.00
60	2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	387.48	387.48	100.00
61	2801- बिजली	4,372.08	1,420.08	32.48
62	2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	123.33	123.33	100.00
63	2852- उद्योग	632.16	632.16	100.00
64	3053- नागर विमानन	3.06	3.06	100.00
65	3054- सड़क तथा सेतु	1,397.73	1,397.73	100.00
66	3055- पथ परिवहन	0.60	0.60	100.00
67	3075- अन्य परिवहन सेवाएँ	0.41	0.41	100.00
68	3451- सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	136.62	120.28	88.04
69	3452- पर्यटन	64.11	62.33	97.22
70	3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	76.12	76.12	100.00
71	3456- सिविल आपूर्ति	585.54	585.54	100.00
72	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	12.19	12.19	100.00
73	3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	4.03	4.03	100.00
74	4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1.53	1.53	100.00
75	4055- पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	269.42	269.42	100.00
76	4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,665.26	1,665.26	100.00
77	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	828.39	828.39	100.00
78	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा सांस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1,518.70	1,518.70	100.00
79	4210- विकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	564.97	564.97	100.00
80	4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,763.58	1,763.58	100.00
81	4216- आवास पर पूँजीगत परिव्यय	168.96	168.96	100.00
82	4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	30.09	30.09	100.00

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि	असमाशोधित राशि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
असमाशोधित प्राप्तियाँ				
83	4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	103.74	103.74	100.00
84	4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	108.29	108.29	100.00
85	4401- फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	55.65	55.65	100.00
86	4406- वानिकी तथा बच्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	9.37	9.37	100.00
87	4425- सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	134.50	134.50	100.00
88	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	6,387.66	6,387.66	100.00
89	4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,248.29	1,248.29	100.00
90	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	129.73	129.73	100.00
91	4711- बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1,287.50	1,287.50	100.00
92	4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	6,931.11	6,931.11	100.00
93	4851- ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	10.44	10.44	100.00
94	4853- अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग कर पूँजीगत परिव्यय	20.00	20.00	100.00
95	4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	79.56	79.56	100.00
96	4885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय	0.48	0.48	100.00
97	5053- नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	26.26	26.26	100.00
98	5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,372.65	5,372.65	100.00
99	5055- सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	3.53	3.53	100.00
100	5452- पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	76.18	76.18	100.00
101	5465- सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	108.00	108.00	100.00
102	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	4.50	4.50	100.00
योग		1,31,961.51	1,19,427.35	90.50

(ओत: महालेखाकार (ले० एवं हक०), से प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.16

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)

निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन (अनुदान सं0-21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारंभिक शिक्षा-193-नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	46.00	0.80	46.80	41.85
2	2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारंभिक शिक्षा-197-ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता -0002-प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	1,253.00	2.00	1,255.00	1,179.61
3	2202-सामान्य शिक्षा-02-माध्यमिक शिक्षा-001-निदेशन और प्रशासन-0002-जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	157.30	40.00	197.30	155.91
4	2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-103-राजकीय कॉलेज तथा संस्थान-0003-राजकीय महिला महाविद्यालय	12.04	0.10	12.14	10.28
5	2202-सामान्य शिक्षा-04-प्रौढ़ शिक्षा-001-निदेशन और प्रशासन-0002-जन शिक्षा निदेशालय	2.60	0.34	2.94	2.56
6	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-0001-मुख्यालय स्थापना	6.97	0.15	7.12	6.11
7	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-001 निदेशन और प्रशासन-0002-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	1.37	0.08	1.45	0.92
8	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-003-प्रशिक्षण-0008-प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	19.25	3.50	22.75	18.67
9	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-0004-मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान	1.99	0.09	2.08	1.36
10	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-0005-अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	0.62	0.04	0.66	0.51
11	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-0007-केंपी० जायसवाल शोध संस्थान, पटना	2.34	0.07	2.41	1.79
12	2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-0018-राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	9.26	0.21	9.47	7.23
13	2205-कला एवं संस्कृति-00-105-सार्वजनिक पुस्तकालय-0001-सार्वजनिक पुस्तकालय	2.31	0.05	2.36	1.36
योग		1,515.05	47.43	1,562.48	1,428.16

(ओत: विनियोग लेखा एवं अनुदान लेखापरीक्षा पंजी वर्ष 2017-18)

परिशिष्ट-2.17

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)
अनावश्यक और अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान (अनुदान सं0-21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—193—नगर पंचायत / अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता—0001—नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	46.00	7.50	53.50	41.85
2	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—197—ब्लॉक पंचायत / मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता—0002—प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	1,253.00	121.44	1,374.44	1,179.61
3	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—198—ग्राम पंचायतों को सहायता—0002—पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	13.00	10.40	23.40	12.75
4	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन—0002—जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	157.30	3.72	161.02	155.91
5	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—109—राजकीय माध्यमिक विद्यालय—0001—अन्य विद्यालय	977.07	20.00	997.07	795.82
6	2202—सामान्य शिक्षा—04—प्रौढ़ शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन 0002—जन शिक्षा निवेशालय	2.60	2.17	4.77	2.56
7	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—003—प्रशिक्षण 0008—प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	19.25	0.24	19.49	18.67
8	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—192—नगर पालिकाओं / नगर परिषदों को सहायता—0001—नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	80.00	18.94	98.94	69.11
9	2202—सामान्य शिक्षा—52—उपस्कर—196—जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों को सहायता—0001—जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान हेतु	800.00	92.45	892.45	663.36
10	2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता—0001—पटना विश्वविद्यालय	200.68	6.50	207.18	185.83
11	2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता 0009—भागलपुर विश्वविद्यालय	396.00	87.64	483.64	390.25

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता 0016—मोलाना मजहरुल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	2.55	0.21	2.76	2.39
13	2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता—0024—पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	0.00	30.00	30.00	0.00
14	2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—102—विश्वविद्यालयों को सहायता 0027—मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	0.00	30.00	30.00	0.00
15	2202—सामान्य शिक्षा—05—भाषा विकास—200—अन्य भाषाओं की शिक्षा 0002—गैर सरकारी मदरसा	250.00	10.00	260.00	238.12
16	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—003—प्रशिक्षण—0005—अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	5.18	0.10	5.28	4.51
योग		4,202.63	441.31	4,643.94	3,760.74

(ओत: विनियोग लेखा एवं अनुदान लेखापत्रीका पंजी वर्ष 2017-18)

परिशिष्ट-2.18

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)

महालेखाकार (ले० एवं हक०) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान सं०-21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन—0101—प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	64.08	62.48	1.60
2	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन—0105—शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	6,418.54	5,516.36	902.18
3	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन 0106—जिला शिक्षा नियोजन अपीलीय प्राधिकार	608.19	607.69	0.50
4	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—102—अराजकीय प्राथिमिक विद्यालयों को सहायता—0102—शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्तीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि	6,742.53	7,312.99	570.46
5	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—109—छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन 0101—मुख्यमंत्री पोशाक योजना	17,871.83	17,599.31	272.52
6	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—109—छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन—0102—मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	13,035.22	12,435.52	599.70
7	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा 109—छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन 0103—मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	5,426.60	5,831.80	405.20
8	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—109—छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन 0105—प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	8,802.73	8,820.60	17.87
9	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—111—सर्व शिक्षा अभियान 0301—सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए)	5,35,814.79	5,35,782.11	32.68
10	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—112—विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—0203—प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम.डी.एम.)	97,871.58	97,872.00	0.42
11	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—112—विद्यालयों में मध्याह्न योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम—0303—प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम.डी.एम.)	83,391.59	83,392.00	0.41
12	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0102—मुख्यमंत्री पोशाक योजना	3,390.06	3,431.00	40.94
13	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन—0101—माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	4,574.06	3,882.87	691.19
14	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—107—छात्रवृत्तियाँ—0105—मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना	11,642.92	11,801.07	158.15

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—107—छात्रवृत्तियाँ—0106— मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना	13,188.65	13,009.72	178.93
16	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—107—छात्रवृत्तियाँ—0107— मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	9,801.71	9,687.72	113.99
17	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—107—छात्रवृत्तियाँ—0108—अन्य विधालय	12,692.11	12,674.40	17.71
18	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0101—मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	2,959.62	2,963.72	4.10
19	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0102—मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	3,071.03	3,035.96	35.07
20	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0104—मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	2,171.30	2,189.80	18.50
21	2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—107— केन्द्रीय छात्रवृति कार्यक्रम योजना 0104—मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	1,998.75	1,980.17	18.58
22	4202—शिक्षा, खेलकूद कलाता तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय—01—सामान्य शिक्षा—202—माध्यमिक शिक्षा—0103—राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	34,604.00	35,273.00	669.00
23	4202—शिक्षा, खेलकूद कलाता तथा संस्कृति पर पूँजीगत व्यय—01—सामान्य शिक्षा—202—माध्यमिक शिक्षा—0109—राजकीयकृत उच्च विद्यालय के भवन	46,262.68	46,154.68	108.00
24	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन—0001—प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	477.84	341.15	136.69
25	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय 0001—राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	3,58,742.65	3,61,994.21	3,251.56
26	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—102—अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता 0001—गैर—सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	1,810.09	1,818.59	8.50
27	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—112—विद्यालयों में मध्याहन भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम 0002—मध्याहन भोजन योजना (उथापना)	201.89	212.13	10.24
28	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—191—नगर निगम को सहायता 0001—नगर निगम को सहायता 0001—नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	3,040.01	2,947.55	92.46
29	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—192—नगर पालिकाओं / नगर परिषदों को सहायता 0001—नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान	3,573.76	3,252.50	321.26

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—193—नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता 0001—नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान	4,185.06	4,230.16	45.10
31	2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—197—ब्लॉक पंचायत / मध्यर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता—0002—प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	1,17,960.96	1,17,997.58	36.62
32	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन—0001—माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	941.68	781.91	159.77
33	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन—0002—जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	15,590.52	15,331.71	258.81
34	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन 0003—क्षेत्रिय उप निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	667.47	668.10	0.63
35	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—109—राजकीय माध्यमिक विद्यालय 0001—अन्य विद्यालय	79,581.78	77,910.17	1,671.61
36	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—110—अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—0002— सैनिक विद्यालय	77.15	73.29	3.86
37	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—110—अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—0003— माध्यमिक, बहुदेशीय अत्य संख्यक विद्यालय	7,641.30	7,627.33	13.97
38	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—191—नगर निगम को सहायता 0001—नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	6,254.75	6,249.83	4.92
39	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—192—नगर पालिकाओं / नगर परिषदों को सहायता—0001—नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	6,910.62	7,368.64	458.02
40	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—193—नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायकता 0001— नगर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	7,799.77	6,742.24	1,057.53
41	2202—सामान्य शिक्षा—02—माध्यमिक शिक्षा—196—जिला परिषदों / जिला स्तर के पंचायतों को सहायता—0001—जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों को समेकित अनुदान	66,336.19	68,015.50	1,679.31
42	2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—001— निदेशन और प्रशासन 0001—निदेशन तथा प्रशासन	260.04	264.41	4.37
43	2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103—राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान 0001—इंटरमिडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)	4,046.00	3,959.23	86.77

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
44	2202—सामान्य शिक्षा—03—विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 103—राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान—0003—राजकीय महिला महाविद्यालय	1,027.72	1,024.63	3.09
45	2202—सामान्य शिक्षा—04—प्रौढ़ शिक्षा—001—निदेशन और प्रशासन 0002—जन शिक्षा निदेशालय	255.50	225.95	29.55
46	2202—सामान्य शिक्षा—05—भाषा और विकास—103—संस्कृत शिक्षा 0002—राजकीय संस्कृत विद्यालय	111.95	109.83	2.12
47	2202—सामान्य शिक्षा—05—भाषा और विकास—103—संस्कृत शिक्षा 0003—गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय	10,113.94	9,939.73	174.21
48	2202—सामान्य शिक्षा—05—भाषा और विकास—200—अन्य भाषाओं की शिक्षा 0001—मदरसा इस्लामिया समसुल होदा	174.07	155.41	18.66
49	2202—सामान्य शिक्षा—05—भाषा और विकास—200—अन्य भाषाओं की शिक्षा 0002—गैर सरकारी मदरसा	23,811.93	23,833.07	21.14
50	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—001—निदेशन और प्रशासन 0001—मुख्यालय स्थापना	611.00	596.99	14.01
51	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—001—निदेशन और प्रशासन 0002—राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	92.44	99.34	6.90
52	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—003—प्रशिक्षण—0005—अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	450.80	454.19	3.39
53	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—003—प्रशिक्षण—0006—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	3,343.23	3,344.59	1.36
54	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—003—प्रशिक्षण—0007—प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	356.29	355.96	0.33
55	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—003—प्रशिक्षण—0008—प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	1,867.13	1,887.97	20.84
56	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—004—अनुसंधान—0001—राष्ट्रभाषा पर्षद	210.57	207.35	3.22
57	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—004—अनुसंधान—0004—मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान	136.43	155.67	19.24
58	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—004—अनुसंधान 0005—अरबी तथा फारसी में अनुसंधान	50.72	54.16	3.44
59	2202—सामान्य शिक्षा—80—सामान्य—004—अनुसंधान—0007—के०पी० जायसवाल शोध संस्थान, पटना	178.75	189.71	10.96
60	2251—सचिवालय सामाजिक सेवाएँ—00—090—सचिवालय—0002—शिक्षा विभाग	1,245.05	1,220.58	24.47
योग				14,516.63

परिशिष्ट-2.19

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)

शिक्षा विभाग के लंबित असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र (अनुदान संख्या-21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	असमायोजित सार आकस्मिक विपत्रों की संख्या	असमायोजित राशि
1	2002-03	53	7.88
2	2003-04	100	18.50
3	2004-05	33	6.39
4	2005-06	73	38.02
5	2006-07	47	133.47
6	2007-08	5	0.08
7	2008-09	24	8.54
8	2009-10	60	20.32
9	2010-11	65	34.86
10	2011-12	175	29.96
11	2012-13	47	8.07
12	2013-14	8	6.89
13	2014-15	31	44.06
14	2015-16	34	61.25
15	2016-17	32	219.93
16	2017-18	107	444.85
योग		894	1,083.07

(स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्राप्त आंकड़े)

परिशिष्ट-2.20

(संदर्भ: कंडिका 2.7; पृष्ठ 37)

शिक्षा विभाग के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुदान संख्या-21)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	असमायोजित विपत्रों की संख्या	असमायोजित राशि
1	2003-04 से 2015-16	297	3,401.60
2	2016-17	56	1,482.03
3	2017-18	75	4,002.64
योग			8,886.27

(आवेदन: महोलेखाकार (लेखा एवं हक्क) द्वारा प्राप्त आंकड़े)

परिशिष्ट-2.21

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)
दलतमत अनुदान से अतिरिक्त व्यय की विवरणी (अनुदान संख्या 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	अभ्यर्पित	कुल प्रावधान (=3-4-5)	वास्तविक व्यय	अधिक (-7-6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2015—निर्वाचन-00—लघु शीर्ष-109—पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-0001—नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	40.00	0.00	29.68	10.32	10.43	0.11
2	2215—जलापूर्ति तथा सफाई-01—जलापूर्ति 192—नगर निगम/नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान-0101—पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	35.00	0.00	8.75	26.25	28.25	2.00
3	2215—जलापूर्ति तथा सफाई-01—जलापूर्ति 193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायता अनुदान 0101—पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	35.00	0.00	8.75	26.25	28.96	2.71
4	2215—जलापूर्ति तथा सफाई-01—जलापूर्ति 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101—पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	49.00	0.00	47.89	1.11	1.34	0.23
5	2215—जलापूर्ति तथा सफाई-01—जलापूर्ति-789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0102—पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	28.00	0.00	0.00	28.00	29.00	1.00
6	2215—जलापूर्ति तथा सफाई-02—मल जल तथा सफाई-192—नगर पालिकाओं/नगर निगम को सहायता, आदि-0102—नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	30.00	0.00	7.50	22.50	24.14	1.65
7	2215—जलापूर्ति तथा सफाई-02—मल जल तथा सफाई-800—अन्य व्यय-0102—नाली एवं मल निकासी निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93
8	2217—शहरी विकास-03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192—स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता—0105—शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधा हेतु सहायक अनुदान	49.20	0.00	4.03	45.17	46.94	1.77
9	2217—शहरी विकास-03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान-0102—नगर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2.86	0.00	0.55	2.31	2.58	0.27

क्रम सं.	शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	अभ्यर्पित	कुल प्रावधान (=3-4-5)	वास्तविक व्यय	अंदिक (=7-6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान—0103—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	125.37	0.00	6.66	118.71	119.36	0.65
11	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान—0105—शहरी आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरण एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1.00	0.00	0.00	1.00	1.13	0.13
12	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान—0113—विशेष स्वच्छता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11
13	2217—शहरी विकास—05—अन्य शहरी विकास परियोजना—0102—राज्य संसाधन केन्द्र एवं अन्य समतुल्य कार्यकर्मों के योजना एवं स्थापना का अनुश्रवण/मूल्यांकन/योजनाओं का पर्यवेक्षण	2.00	0.00	0.00	2.00	2.82	0.82
14	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—191—स्थानीय निकायों, नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार बोर्ड को सहायता—0013—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान	371.59	70.37	184.44	257.52	260.35	2.83
15	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतूल्य को सहायक अनुदान—0005—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान	246.47	16.53	162.35	100—65	103.62	2.97
कुल							18.18

(लोत्र: आंकड़े कार्यालय महालेखाकार (लो० एवं हक०) बिहार, पटना)

परिशिष्ट-2.22

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)
निधि का शत् प्रतिशत अभ्यर्पण की विवरणी (अनुदान संख्या 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	मूल पावधान	अभ्यर्पित राशि	पत्रांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति— 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0102—पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1.00	1.00	बजट—14-02 / 2018 / 718, दिनांक— 06.02.2018
2	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति— 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0102—पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	2.00	2.00	बजट—14.02 / 2018 / 718, दिनांक— 06.02.2018
3	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—स्थानीय निकायों को सहायता— 0218—शहरी पुर्णवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	68.90	68.90	बजट—14.01 / 2016 / 463, दिनांक— 23.01.2018 — बजट—14.13 / 2017 / 7217, दिनांक— 07.11.2017
4	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—स्थानीय निकायों को सहायता— 0220—स्वच्छ भारत मिशन	70.00	70.00	बजट—14.02 / 2018 / 719, दिनांक— 06.02.2018
5	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—स्थानीय निकायों को सहायता 0318—शहरी पुर्णवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	34.10	34.10	बजट—14.13 / 2017 / 7217, दिनांक— 07.11.2017
6	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—191— स्थानीय निकायों को सहायता 0209—शहरी पुर्णवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	160.00	160.00	बजट—14.01 / 2016 / 463, दिनांक—23.01.2018
7	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— 191— स्थानीय निकायों को सहायता—0211—सबके लिए आवास (शहरी)	30.00	30.00	बजट—14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
8	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—193—नगर पाचायतों को सहायता—0311—शहरी पुर्णवीकरण मिशन—अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	10.04	10.04	बजट—14.13 / 2017 / 7217, दिनांक— 07.11.2017
9	2217—शहरी विकास—05—अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ—001—निर्देशन और प्रशासन—0103—क्षमता वर्धन कार्यक्रम	0.50	0.50	बजट—14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
10	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ—00—लघु शीर्ष—108—शहरीन्मुखी रोजगार कार्यक्रम 0202—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	112.05	112.05	बजट—14.13 / 2017 / 7216, दिनांक— 07.11.2017 — बजट—14.02 / 2018 / 720, दिनांक— 06.02.2018
11	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ—00—लघु शीर्ष—108—शहरीन्मुखी रोजगार कार्यक्रम 0302—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	74.70	74.70	बजट—14.13 / 2017 / 7216, दिनांक— 07.11.2017 — बजट—14.02 / 2018 / 720, दिनांक— 06.02.2018
12	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ—00—लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के विशेष घटक—0202—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	21.60	21.60	बजट—14.02 / 2018 / 720, दिनांक— 06.02.2018
13	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ—00—लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के विशेष घटक—0302—राष्ट्रीय शहरी आजीविकास मिशन	14.40	14.40	बजट—14.02 / 2018 / 720, दिनांक— 06.02.2018
14	3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ—00—लघु शीर्ष—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 0202—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	1.35	1.35	बजट—14.02 / 2018 / 720, दिनांक— 06.02.2018
कुल		600.64	600.64	

(ओत्र: विस्तृत विविचण लेखा 2017-18, अनुदान लेखापरीक्षा पंजी तथा विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.23

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण विवरणी (अनुदान संख्या 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+ पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्रांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2015—निर्वाचन—00—लघ शीर्ष—109—पंचायतों / स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार—0001—नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव	40.00	19.68	बजट—14.09 / 2018 / 1868, दिनांक— 31.03.18
2	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति— 191—नगर निगमों को सहायता—0101—पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	50.00	1.11	बजट—14.07 / 2018 / 1871, दिनांक— 31.03.2018
3	2217—शहरी विकास—05—अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ—001—निर्देशन तथा प्रशासन— 0103—क्षमतावर्धन कार्यक्रम	0.50	0.50	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
4	2217—शहरी विकास—05—अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ—001—निर्देशन तथा प्रशासन— 0104—निर्देशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों का आधुनिकीकरण	2.00	1.77	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
5	2217—शहरी विकास—05—अन्य शहरी विकास परियोजनाएँ—001—निर्देशन तथा प्रशासन—0105—अभियंत्रण कोषांग हेतु	7.00	0.88	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
6	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— 192—नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता —0101—नगर परिषदों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण / जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान	2.50	1.00	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
7	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—नगर निगमों को सहायता—0115—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	23.00	1.00	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
8	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी का समेकित विकास— 193—नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0103—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	125.37	6.66	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
9	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—नगर निगमों को सहायता—0109—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें	20.64	0.22	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
10	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी का समेकित विकास— 192—नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता—0105—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें	49.20	4.03	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
11	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी का समेकित विकास— 193—नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0104—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें	47.70	0.76	बजट / 14.06 / 2018 / 1872 दिनांक— 31.03.2018
12	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी का समेकित विकास—191—नगर निगमों को सहायता—0102—नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	1.65	0.03	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
13	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी का समेकित विकास—192—नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता—0102—नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	3.25	0.49	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018

क्रम सं.	शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल+ पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्रांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— 193—नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0102—नगर निगमों के निवाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	2.86	0.55	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
15	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—नगर निगमों को सहायता—0219—सबके लिए आवास (शहरी)	63.00	48.75	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
16	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—192—नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता—0201. सबके लिए आवास (शहरी)	140.00	27.02	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
17	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—191—स्थानीय निकायों को सहायता—0211—सबके लिए आवास (शहरी)	30.00	30.00	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
18	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—192—नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता—0212—सबके लिए आवास (शहरी)	30.00	1.00	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
19	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— 191—स्थानीय निकायों को सहायता—0210—स्मार्ट सिटी मिशन प्लान	231.00	83.00	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
20	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास— 191—स्थानीय निकायों को सहायता— 0223—सौ (100) स्मार्ट सिटी मिशन प्लान	100—00	82.00	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
21	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0102—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	132.66	5.65	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
22	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0101—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	5.98	0.30	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
23	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0205—सबके लिए आवास (शहरी)	24.00	0.01	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
24	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0201. सबके लिए आवास (शहरी)	4.50	3.00	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
25	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 0301—सबके लिए आवास (शहरी)	1.56	0.08	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
26	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0303—सबके लिए आवास (शहरी)	1.56	0.23	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
27	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—0203. सबके लिए आवास (शहरी)	4.50	0.70	बजट / 14.06 / 2018 / 1872, दिनांक— 31.03.2018
28	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—191—स्थानीय निकायों को सहायता—0013—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायता	441.96	235.81	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018

क्रम सं.	शीर्ष	कुल प्रावधान (भूल+ पूरक)	अभ्यर्पित राशि	पत्रांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—192—नगर पालिकाओं को सहायता 0005—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायता	336.49	166.94	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
30	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—193—नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0005—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को सहायता	263.00	110.98	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
31	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—193—नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0008—पेशाकर के आलोक में अनुदान	9.03	0.27	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
32	2217—शहरी विकास—80—सामान्य 191—नगर निगमों को सहायता—0010 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	212.39	46.36	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
33	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—192—नगर परिषदों को सहायता—0010 वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगमों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	176.42	45.23	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
34	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—193—नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0001—वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	140.88	39.57	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
35	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 192—नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों को सहायता—0013—नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	3.93	1.12	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
36	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0012 नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी	7.52	0.63	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
37	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—001—निर्देशन एवं प्रशासन 0002—नगर और प्रादेशिक आयोजन की रथापना	1.82	0.12	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
38	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—191—नगर निगमों को सहायता—0015—नगर प्रबन्धक	0.40	0.06	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
39	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—192— नगर परिषदों को सहायता—0008 —नगर प्रबन्धक	0.60	0.12	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
40	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—193—नगर पंचायतों/ अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान —0007—नगर प्रबन्धक	1.58	0.18	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
41	2217—शहरी विकास—80—सामान्य 001—निर्देशन एवं प्रशासन—0004—नगरपालिका भवन च्यायाधिकरण	0.53	0.33	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
42	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—001—निर्देशन तथा प्रशासन 0002—पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार	0.0004	0.05	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
43	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—001—निर्देशन एवं प्रशासन 0005—भू—सम्पदा विनियमन प्राधिकरण	0.0005	0.10	बजट / 14.10 / 2018 / 1867, दिनांक— 31.03.2018
44	2251— सचिवालय 00—लघु शीर्ष 090—सचिवालय, रथापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 0005— नगर विकास एवं आवास विभाग	6.54	2.87	बजट / 14.08 / 2018 / 1873, दिनांक— 31.03.2018
	कुल	2]747-52	971-01	

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा 2017-18, अनुदान लेखापरीक्षा पंजी तथा विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.24

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)
सघन व्यय (अनुदान संख्या-48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	2017-2018 के दौरान व्यय	मार्च 2018 में व्यय	मार्च 2018 में व्यय का प्रतिशत
1	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति —191— नगर निगम को सहायता 0101—पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	3.89	3.89	100.00
2	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति —789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 0103—पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	6.25	6.25	100.00
3	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति 796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0104—पेयजलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	26.00	26.00	100.00
4	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—02—मल जल तथा सफाई—106—वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण—0302—राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	60.00	60.00	100.00
5	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—02—मल जल तथा सफाई—193—नगर पंचायतों /अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायकता—0102—नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	15.82	15.82	100.00
6	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—02—मल जल तथा सफाई—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0102— नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	14.77	14.77	100.00
7	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—02—मल जल तथा सफाई—800—अन्य व्यय— 0102— नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.93	0.93	100.00
8	2217—शहरी विकास—01— राज्य की राजधानी का विकास—191— नगर निगम को सहायता—0106—नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु	0.24	0.24	100.00
9	2217—शहरी विकास—01— राज्य की राजधानी का विकास—191—नगर निगम को सहायता—0109—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें— सहायक अनुदान	74.92	74.92	100.00
10	2217—शहरी विकास—01— राज्य की राजधानी का विकास—191—नगर निगम को सहायता— 0110—शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1.00	1.00	100.00
11	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191— नगर निगम को सहायता—0115—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	22.00	22.00	100.00

क्रम सं०	शीर्ष	2017–2018 के दौरान व्यय	मार्च 2018 में व्यय	मार्च 2018 में व्यय का प्रतिशत
12	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—नगर निगम को सहायता—0223—100 स्मार्ट सिटी मिशन योजना	18.00	18.00	100.00
13	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—नगर निगम को सहायता—0319—सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	21.13	21.13	100.00
14	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—नगर निगम को सहायता—0320—स्वच्छ भारत मिशन	80.00	80.00	100.00
15	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—191—नगर निगम को सहायता—0323—100 स्मार्ट सिटी मिशन योजना	100.00	100.00	100.00
16	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0102—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	23.00	23.00	100.00
17	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—191—नगर निगम को सहायता—0312—स्वच्छ भारत मिशन	80.00	80.00	100.00
18	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—192—स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता—0106—शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	1.00	1.00	100.00
19	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—192—स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता—0212—सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	29.00	29.00	100.00
20	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—192—स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता—0312—सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	20.88	20.88	100.00
21	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—193—नगर पंचायतों—अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता—0113 विशेष सफाई अनुदान	0.11	0.11	100.00
22	2217—शहरी विकास—05—अन्य शहरी विकास परियोजना—001—निदेशन और प्रशासन—0104—निदेशालयों एवं इसके समतुल्य संस्थानों को आधुनिकीकरण हेतु	0.23	0.23	100.00
23	2217—शहरी विकास—05—अन्य शहरी विकास परियोजना—001—निदेशन और प्रशासन—0107 शहरी आधारभूत संरचनाओं समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	2.00	2.00	100.00
24	2217—शहरी विकास—80—सामान्य—001—निदेशन और प्रशासन—0005—भू—संपदा विनियमन प्राधिकरण	1.57	1.57	100.00

क्रम सं०	शीर्ष	2017–2018 के दौरान व्यय	मार्च 2018 में व्यय	मार्च 2018 में व्यय का प्रतिशत
25	2217—शहरी विकास—05—अन्य शहरी विकास परियोजना—191—नगर निगम को सहायता—0003—नगर निगम के जिम्मे बकाये विधुत विपत्रों के भुगतान हेतु सहायक अनुदान	81.00	81.00	100.00
26	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—02—मल जल तथा सफाई—191—नगर निगम को सहायता—0102—नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	15.00	14.35	95.67
27	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति—193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0101—पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	28.96	25.61	88.41
28	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—02—मल जल तथा सफाई—192—स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता—0102—नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	24.15	21.28	88.13
29	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0102—पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	29.00	24.41	84.19
30	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—796—जनजातीय क्षेत्र उप योजना—0301—सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	1.48	1.04	70.25
31	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति—192—स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं को सहायता—0101—पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	28.25	19.07	67.51
32	2217—शहरी विकास—01—राज्य की राजधानी का विकास—053—रखरखाव तथा मरम्मत—0001—बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क	5.00	3.20	64.02
33	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता—0105—शहरी आधारभूत सरचनाओं से संबंधित	1.65	1.00	60.69
34	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0101—नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण—जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान	5.00	2.81	56.26
35	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—01—जलापूर्ति—101—शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम—0007—बिहार राज्य जल निगम	39.00	19.50	50.00
36	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0305—सब के लिए आवास (शहरी) मिशन	13.69	6.63	48.44
37	2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—193—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—0104—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें—सहायक अनुदान	47.45	21.88	46.11

परिशिष्ट-2.25

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

महालेखाकार (ले० एवं हक०) तथा विभागीय व्यय के आँकड़े के बीच भिन्नता (अनुदान संख्या 48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	शीर्ष	महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा लेखांकित आँकड़े	विभागीय व्यय के आँकड़े	अन्तर (4-5)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	2015—निर्वाचन—००—लघु शीर्ष—१०९—पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार—०००१—नगर निगमों/नगर परिषदों/नगर पंचायतों के निर्वाचन	10.43	10.33	0.10
2.	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—०१—जलापूर्ति—१९२—नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता—०१०१—पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	28.25	26.25	2.00
3.	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—०१—जलापूर्ति—१९३—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—०१०१—पेयजलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	28.96	26.25	2.71
4.	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—०१—जलापूर्ति—७८९—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—०१०१—पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	1.34	1.11	0.23
5.	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—०१—जलापूर्ति—७८९—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—०१०२—पेयजलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	29.00	28.00	1.00
6.	2215—जलापूर्ति तथा सफाई—०२—नल जल तथा सफाई—१९२—नगर पालिकाओं/नगर निगमों को सहायता, आदि ०१०२—नाली निर्माण एवं मल/निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	24.15	22.50	1.65
7.	2217—शहरी विकास—०३—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास १९२—नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता—०१०५—नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधा हेतु सहायक अनुदान	46.94	45.17	1.77
8.	2217—शहरी विकास—०३—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—१९३—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—०१०२—नगर पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	2.58	2.31	0.27
9.	2217—शहरी विकास—०३—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—१९३—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—०१०३—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों के सहायक अनुदान	119.36	118.71	0.65
10.	2217—शहरी विकास—०३—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास १९३—नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायक अनुदान—०१०५—शहरी आधारभूत संरचनाओं से सम्बन्धित	1.13	1.00	0.13
11.	2217—शहरी विकास—०५—अन्य शहरी विकास परियोजना—००१—निर्देशन तथा प्रशासन—०१०२—अनुश्रवण/मूल्यांकन/योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना शहरी योजना एवं विकास	2.82	2.00	0.82
12.	2217—शहरी विकास—८०—सामान्य—१९१—स्थानीय निकायों, नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरण, नगर विकास बोर्ड को सहायता—००१३—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान	260.35	257.52	2.83
13.	2217—शहरी विकास—८०—सामान्य—१९२—नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता—०००५—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को सहायक अनुदान	167.44	166.07	1.37
कुल		722.75	707.22	15.53

(ओत्र: विस्तृत विविध लेखा 2017-18 तथा विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-2.26

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्रों की स्थिति (अनुदान संख्या-48)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आहरित सार आकस्मिक विपत्र		समायोजित सार आकस्मिक विपत्र		असमायोजित सार आकस्मिक विपत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2003-04	2	0.09	2	0.00	2	0.09
2004-05	4	0.12	4	0.01	4	0.11
2005-06	3	0.06	3	0.04	3	0.03
2006-07	9	0.28	9	0.01	9	0.26
2007-08	68	15.15	68	0.66	68	14.49
2008-09	1	0.02	1	0.00	1	0.02
2009-10	36	5.22	36	0.10	36	5.12
2010-11	57	18.67	57	5.54	57	13.13
2011-12	4	0.28	4	0.00	4	0.28
2012-13	22	2.59	22	0.88	22	1.70
2013-14	1	0.06	1	0.00	1	0.06
2014-15	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2015-16	3	0.35	3	0.00	3	0.35
2016-17	283	39.39	101	18.78	182	20.61
2017-18	1	0.10	0	0.00	1	0.10
कुल	494	82.38	311	26.02	393	56.35

(ओत्र: शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्राप्त सूचना)

2016-17 के दौरान 101 विपत्र पूर्ण रूप से समायोजित हुए और शेष आंशिक रूप से समायोजित थे।

परिशिष्ट-2.27

(संदर्भ: कंडिका 2.8; पृष्ठ 38)

उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण (अनुदान संख्या-48)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	असमायोजित विपत्रों की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2003-04 से 2015-16	497	3,009.59
2	2016-17	80	1,419.89
3	2017-18	45	615.82
कुल		622	5,045.3

(ओत्र: महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा प्राप्त सूचना)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1.2; पृष्ठ 42)

विगत तीन वित्तीय वर्षों से अपरिचालित पी0डी0 खाते

क्रम सं०	कोषागार का नाम	अपरिचालित पी0डी0 खातों की सं०
(1)	(2)	(3)
1	अररिया	01
2	औरंगाबाद	02
3	बगहा	01
4	बाँका	03
5	बाढ़	01
6	बारसोई	01
7	बेगूसराय	05
8	बेनीपुर	01
9	बेतिया	03
10	भागलपुर	02
11	भोजपुर	02
12	बीरपुर	01
13	बक्सर	02
14	दानापुर	02
15	दरभंगा	01
16	दाऊदनगर	01
17	फाराबिसगंज	01
18	जमुई	03
19	जहानाबाद	02
20	झांझारपुर	02
21	कैमूर	01
22	कटिहार	04
23	खगड़िया	01
24	किशनगंज	01
25	लखीसराय	03
26	मधेपुरा	01
27	मधुबनी	03
28	मोतिहारी	01
29	मुंगेर	02
30	मुजफ्फरपुर	01
31	नालंदा	01

क्रम सं०	कोषागार का नाम	अपरिचालित पी०डी० खातों की सं०
(1)	(2)	(3)
32	नरकटियागंज	01
33	नवादा	04
34	निर्मली	01
35	पटना	02
36	पटना सिटी	01
37	रोहतास	04
38	सहरसा	03
39	सारण	02
40	शेखपुरा	03
41	शिवहर	02
42	शेरधाटी	01
43	सीतामढी	04
44	सिवान	04
45	सुपौल	01
46	तेघड़ा	01
47	वैशाली	04
योग		94

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 43)
लघु शीर्ष 800-'अन्य प्राप्तियाँ का परिचालन'

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों से लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत हुए प्राप्तियों की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0029	भूमि राजस्व	778.65	550.71	70.73
2.	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	1577.24	776.94	49.26
3.	0055	पुलिस	86.04	19.90	23.13
4.	0059	लोक निर्माण	9.83	9.83	100.00
5.	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	25.84	7.12	27.55
6.	0202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	21.47	4.78	22.26
7.	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	54.53	34.61	63.47
8.	0215	जलापूर्ति तथा सफाई	16.63	14.09	84.73
9.	0220	सूचना एवं प्रसार	0.40	0.29	72.50
10.	0230	श्रम एवं रोजगार	16.79	14.00	83.38
11.	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0.17	0.17	100.00
12.	0250	अन्य सामाजिक सेवा	0.05	0.05	100.00
13.	0401	फसल कृषि कर्म	11.93	7.57	63.45
14.	0404	डेयरी विकास	0.01	0.01	100.00
15.	0405	मत्स्य	12.02	1.30	10.82
16.	0406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	29.41	3.41	11.59
17.	0506	भूमि सुधार	0.22	0.23	104.55 [#]
18.	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48.61	35.03	72.06
19.	0702	लघु सिचाई	5.21	2.15	41.27
20.	0851	ग्राम एवं लघु उद्योग	0.06	0.06	100.00
21.	0852	उद्योग	0.12	0.12	100.00
22.	1053	नागर विमानन	4.12	3.82	92.72
23.	1054	सड़क एवं सेतु	66.74	19.07	28.57
24.	1452	पर्यटन	1.62	1.62	100.00
25.	1456	सिविल आपूर्ति	0.05	0.05	100.00

(मुख्यशीर्ष एम०एच० 0506 के अन्तर्गत ₹ 0.01 करोड़ की लेखा में वापसी सम्मिलित है। अतः प्रतिशतता 100 से अधिक है।)
(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.3; पृष्ठ 43)
लघु शीर्ष-800-'अन्य व्यय' का परिचालन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय	कुल व्ययों से लघु शीर्ष 800 के तहत व्यय की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	7.76	4.40	56.70
2.	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	253.35	70.18	27.70

(आवेदन की वित्तीय लेखनी 2017-18)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.5.1 एवं 3.5.2; पृष्ठ-45 एवं 46)

30.09.2018 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार (सा०क्षे०उ०) बकाए लेखे बिहार सरकार

क्रम सं०	सा०क्षे०उ० का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं०
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) कार्यशील कम्पनियाँ			
1 से 5 वर्ष			
1.	बिहार स्टेट पावर (होलिडंग) कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
2.	बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
3.	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
4.	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
5.	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	1
6.	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18	1
7.	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1
8.	बिहार वन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1
9.	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2017-18	4
10.	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
11.	पीरपेंती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14 से 2017-18	5
12.	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14 से 2017-18	5
13.	बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
14.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2013-14 से 2017-18	5
15.	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2017-18	3
16.	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
17.	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	2013-14 से 2017-18	5
18.	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
19.	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2017-18	3
20.	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2014-15 से 2017-18	4
21.	बिहार राज्य बेवरेजे निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
22.	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17 से 2017-18	2
कुल			54
5 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2000-01 से 2017-18	18
2.	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2007-08 से 2017-18	11

क्रम सं०	सांकेतिक का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं०
3.	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99 से 2017-18	20
4.	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1996-97 से 2017-18	22
5.	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2002-03 से 2017-18	16
कुल			87
कुल (अ)			141
(ब) (कार्यशील) सांविधिक निगम			
1 से 5 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2017-18	1
2.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2006-07 से 2017-18	12
3.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2012-13 से 2017-18	6
कुल (ब)			19
कुल (अ + ब)			160
(स) अकार्यशील कम्पनियाँ (समापन की प्रक्रिया से अलग)			
1 से 5 वर्ष			
1.	बिहार राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	2017-18	1
2.	स्काडा एग्रो बिजनेस निगम लिमिटेड	2015-16 से 2017-18	3
कुल			4
5 वर्ष से ऊपर			
1.	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
2.	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2009-10 से 2017-18	9
3.	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78 से 2017-18	41
4.	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2017-18	31
5.	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2017-18	30
6.	बिहार मवका प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1984-85 से 2017-18	34
7.	बिहार राज्य ग्लेज़ टाईल्स एवं सिरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
8.	विश्वामित्र कागज उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2017-18	33
9.	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
10.	झांझारपुर कागज उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
11.	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984-85 से 2017-18	34
12.	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2017-18	28
13.	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991-92 से 2017-18	27
14.	भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
15.	मगध मिनरल लिमिटेड	1984-85 से 2017-18	34
16.	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	1987-88 से 2017-18	31
17.	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2017-18	29

क्रम सं०	सांकेतिका का नाम	अवधि जिसके लिए लेखा बकाये में थे	बकाए लेखाओं की सं०
18.	बिहार राज्य सोलवैट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2017-18	31
19.	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04 से 2017-18	15
20.	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84 से 2017-18	35
21.	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86 से 2017-18	33
22.	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985-86 से 2017-18	33
23.	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 2017-18	39
24.	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1995-96 से 2017-18	23
25.	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981-82 से 2017-18	37
26.	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85 से 2017-18	34
27.	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2017-18	32
28.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, खगौल	1993-94 से 2017-18	25
29.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, डेहरी	1993-94 से 2017-18	25
30.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, औरंगाबाद	1993-94 से 2017-18	25
31.	स्काडा एग्रो बिजनेस कंपनी लिमिटेड, मोहनियाँ	1993-94 से 2017-18	25
32.	बिहार राज्य दुध निगम लिमिटेड	1998-99 से 2017-18	20
33.	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993-94 से 2017-18	25
34.	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2017-18	17
35.	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2017-18	17
कुल			1012
कुल (स)			1016
कुल (अ + ब + स)			1176

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.5.3; पृष्ठ-46)

उन कंपनियों को वित्तीय सहायता जिनके लेखे बकाये हैं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	साठ क्षेत्र का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, क्रण, अनुदान और प्रत्याभूतियाँ जब लेखे बकाया हैं।					
			अंश	क्रण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूतियाँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ								
1 वर्ष								
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड	2017-18	6,708.9	209.85	0.00	0.00	0.00	6918.75
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2017-18	128.70	0.00	0.00	0.00	2850.00	2978.70
3	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	2017-18	2660.94	0.00	105.03	1165.44	1268.00	5199.41
4	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	2017-18	2842.67	24.02	0.00	1786.55	683.82	5337.06
उप-योग			12,341.21	233.87	105.03	2951.99	4801.82	20,433.92
2 से 5 वर्ष								
1	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	491.47	0.00	0.00	491.47
2	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	4.80
3	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	0.00	0.00	5.23	0.00	0.00	5.23
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2014-15	6.11	7.00	165.00	0.00	20.62	198.73
उप-योग			6.11	7	666.5	0.00	20.62	700.23

क्रम सं०	साठ० क्षेत्र० उ० का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूतियाँ जब लेखे बकाया हैं।					
			अंश	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूतियाँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 वर्ष से अधिक								
1	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2007-08	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
2	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2000-01	0.00	2.28	105.39	8.66	0.00	116.33
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99	20.74	7.49	0.00	0.00	15.39	43.62
4	बिहार राज्य खाद्य एवं असौनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	1996-97	0.33	1,118.43	0.00	1,460.29	818.19	3397.24
5	बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	2002-03	0.00	157.7	0.00	0.00	0.00	157.70
उप—योग			21.07	1,285.9	105.39	1,491.95	833.58	3,737.89
योग (अ)			12,368.39	1,526.77	876.92	4,443.94	5,656.02	24,872.04
(ब) कार्यशील सांविधिक निगम								
1 वर्ष—शून्य								
2 से 5 वर्ष—शून्य								
5 वर्ष से अधिक								
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2012-13	0.00	0.00	47.17	0.00	164.04	211.21
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2006-07	0.00	785.01	0.00	0.00	0.00	785.01
योग (ब)			0.00	785.01	47.17	0.00	164.04	996.22
योग (अ+ब)			12,368.39	2,311.78	924.09	4,443.94	5,820.06	25,868.26
(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ								
1 वर्ष—शून्य								
2 से 5 वर्ष—शून्य								
5 वर्ष से अधिक								
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लि.	1993-94	1.25	5.63	0.26	0.00	0.00	7.14

क्रम सं०	साठे क्षेत्रों का नाम	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि में दिये गये अंश, ऋण, अनुदान और प्रत्याभूतियाँ जब लेखे बकाया हैं।					
			अंश	ऋण	पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रत्याभूतियाँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
3	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86	11.21	365.32	0.00	69.27	0.00	445.8
4	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1995-96	0.00	5.65	21.07	0.00	0.00	26.72
5	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	2001-02	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
6	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89	5.80	2.74	0.00	0.00	0.00	8.54
7	बिहार हिल एरिया लिपट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84	5.22	18.78	0.00	55.41	0.00	79.41
8	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33
9	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85	3.72	0.25	0.00	0.48	0.00	4.45
10	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87	12.92	6.30	0.00	0.00	0.00	19.22
11	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	2.29
12	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	लेखों का अन्तिमीकरण प्रारंभ से ही नहीं हुआ है।	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09
योग (स)			45.12	569.66	32.33	125.16	0.00	772.27
योग (अ+ब+स)			12,413.51	2,881.44	956.42	4,569.10	5820.06	26,640.53

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.6; पृष्ठ 46)
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की विभागानुसार राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	लंबित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कृषि विभाग	112	1,507.38
2	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	55	262.60
3	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	76	13.95
4	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	33	830.27
5	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	8	207.04
6	सहकारिता विभाग	31	241.71
7	आपदा प्रबंधन विभाग	230	1,021.14
8	शिक्षा विभाग	428	8,886.27
9	ऊर्जा विभाग	31	456.76
10	पर्यावरण एवं वन विभाग	2	2.00
11	वित्त विभाग	31	286.16
12	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1	10.81
13	सामान्य प्रशासन विभाग	15	90.16
14	स्वास्थ्य विभाग	21	3,918.42
15	गृह (जेल) विभाग	2	0.06
16	गृह (विशेष) विभाग	12	2.83
17	उद्योग विभाग	24	22.33
18	सूचना प्रावेदिकी विभाग	18	46.80
19	श्रम संसाधन विभाग	27	26.84
20	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	18	5.24
21	विधि विभाग	1	6.02
22	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	14	4.34
23	पंचायती राज विभाग	260	4,680.36
24	योजना एवं विकास विभाग	9	349.91
25	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग	4	12.63
26	ग्रामीण विकास विभाग	75	5,422.20
27	ग्रामीण (कार्य) विभाग	7	8.94
28	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	104	1,924.47
29	विज्ञान एवं प्रावेदिकी विभाग	7	3.91
30	समाज कल्याण विभाग	140	1,107.83
31	गन्ना विभाग	16	84.53
32	पर्यटन विभाग	3	3.00
33	नगर विकास विभाग	622	5,045.30
34	जल संसाधन विभाग	18	101.29
योग		2,455	36,593.50

(आंकड़े: महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा संकलित आंकड़े)

पारिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कडिका 3.8, पृष्ठ-49)

सरकारी कम्पनियों एवं सांबंधित निगमों से संबंधित 31 मार्च 2018 को बकाया अंश, ऋण एवं प्रत्याखृति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार				कंपनी के अनुसार				अंतर
		अंश	ऋण	प्रत्याखृति	अंश	ऋण	प्रत्याखृति	अंश	ऋण	
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	2.03	0	2.28	31.9	0	0	0	-29.87
2	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
3	बिहार राज्य साख एवं विनिवेश निगम लिमिटेड	12.14	26.8	0	15.12	20.47	0	-2.98	6.33	0
4	बिहार राज्य पिछड़ा वर्त एवं विकास निगम	21.48	0	16.31	23.36	0	15.39	-1.88	0	0.92
5	बिहार राज्य अत्यसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	328.95	5.6	0	0.4	5.6	20.62	328.55	0	-20.62
6	बिहार राज्य किल्स विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1	0.48	0	1	0.5	0	0	-0.02	0
7	बिहार राज्य ईक्षणिक वित्त निगम लिमिटेड	0	0	9.5	0	0	0	-9.5	0	0
8	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0.25	0	0	0.1	0	0	0.15	0	0
9	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	3.5	0	0	3.5	0	0	0	0	0
10	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	0	0	0
11	बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
12	बिहार शहरी आधारसूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	0	0	0
13	बिहार राज्य ईक्षणिक आधारसूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20	0	0	20	0	0	0	0	0
14	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	-0.05	0	0

क्रम सं०	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			आंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
15	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0.05	0	0	-0.05	0	0	0
16	मुजफरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0.05	0	0	-0.05	0	0	0
17	बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	25	6.24	0	25	0	0	0	6.24	0
18	बिहार राज्य बोरोजे ज निगम लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	0	0	0
19	बिहार राज्य जलविद्युत शक्ति निगम लिमिटेड	102.02	463.71	0	99.04	223.09	0	2.98	240.62	0
20	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	30,460.17	1,621.29	0	30,098.54	338.50	0	361.63	1,282.79	0
21	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	0	10	2,552.33	0	0	2,850.00	0	10	-297.67
22	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	0	15	0	0	144.59	1209.94	0	-129.59	1209.94
23	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	198.96	481.1	0	385.8	1268	0	-186.84	786.90
24	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	0	164.81	683.83	0	129.15	683.82	0	35.66	0.01
25	बिहार राज्य पर्टन विकास निगम लिमिटेड	4.16	0		5	0	0	-0.84	0	0
26	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.02	1,440.71	818.19	5.27	2,180.48	818.19	-5.25	-739.77	0
27	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इच्छास्ट्रव्यवहार कॉर्सपोरेशन लिमिटेड	20	0	0	6.74	0	0	13.26	0	0
28	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	0.34	0	0	0.34	0	0	0	0	0
29	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	0	0	0.36	0	0	-0.24	0	0
कुल (अ)		31,056.43	3,955.63	4,551.76	30,370.70	3,460.08	6,865.96	685.73	495.55	-2314.20

क्रम सं०	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार				कंपनी के अनुसार				अंतर
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	
(ब) कार्यशील सार्विधिक निगम										
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	23.09	213.97	127.47	39.95	228.47	0	-16.86	-14.5	127.47
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	81.74	880.62	0	74.76	873.37	0	6.98	7.25	0
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.8	0	164.04	3.21	0	164.04	-2.41	0	0
कुल (ब)		105.63	1094.59	291.51	117.92	1101.84	164.04	-12.29	-7.25	127.47
कुल (अ+ब)		31,162.06	5,050.22	4,843.27	30,488.62	4,561.92	7,030.00	673.44	488.30	-2186.73
(स) अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ										
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.75	2.66	0	3.7	2.6	0	-1.95	0.06	0
2	स्काडा एप्लो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	0.58	0	0	0	0	0	0.58	0	0
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	12.19	42.09	0	10	49.68	0	2.19	-7.59	0
4	बिहार राज्य दुध निगम लिमिटेड	0	1.95	0	6.72	0	0	-6.72	1.95	0
5	बिहार हिल एरिया लिपट सिंचाई निगम लिमिटेड	9.94	3.5	0	10.82	8.55	0	-0.88	-5.05	0
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	4.94	7.06	0	5.12	30.98	0	-0.18	-23.92	0
7	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	0	1.61	0.42	0	0.03	22.7	0
8	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	0.98	0.07	0	2.01	0	0	-1.03	0.07	0
9	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	11.42	1.31	0	10	1.16	0	1.42	0.15	0
10	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.63	4.41	0	7.18	10.4	0	-6.55	-5.99	0
11	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	3.18	86.3	0	14.04	66.54	0	-10.86	19.76	0
12	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	4.9	3.3	0	7	3.38	0	-2.1	-0.08	0

क्रम सं	(अ) कार्यशील सरकारी कंपनियाँ	वित्त लेखे के अनुसार			कंपनी के अनुसार			आंतर		
		अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति	अंश	ऋण	प्रत्याभूति
13	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	9.87	0	0	9.97	0	0	-0.1	0	0
14	बिहार सोलरेंट एवं कॉमिकल्स लिमिटेड	0.2	0.01	0	0.2	0	0	0	0.01	0
15	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20	0	0	20	322.95	0	0	-322.95	0
16	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0.03	0	0	-0.03	0
17	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	9.57	12.35	0	15.78	4.25	0	-6.21	8.1	0
18	बिहार झग्स एवं कॉमिकल्स लिमिटेड	0	0	1.25	0	1.28	0	0	-1.28	1.25
19	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	15.81	2.45	0	5.37	1.62	0	10.44	0.83	0
20	बिहार राज्य नियात निगम लिमिटेड	2.27	0.92	0	2	1.22	0	0.27	-0.3	0
21	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2.19	3.02	0	1.75	0	0	0.44	3.02	0
22	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0	0.01	0	0	0	0	0	0.01	0
23	बिहार राज्य फिनिस्ट लेदर्स निगम लिमिटेड	0	0	0	0	9.18	0	0	-9.18	0
24	बिहार राज्य चम उद्योग विकास निगम लिमिटेड	10.43	13.26	0	17.4	12.43	0	-6.97	0.83	0
25	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0	0	0	0	6.09	0	0	-6.09	0
कुल (स)		122.49	207.79	1.25	150.67	532.76	0	-28.18	-324.97	1.25
कुल (अ + ब + स)		31,284.55	5,258.01	4,844.52	30,639.29	5,094.68	7,030.00	645.26	163.33	-2185.48

